सम्बन्ध और सम्बन्ध बोध

मर्द, मर्दानगी व महिलाओं पर होन वाली हिंसा:
हस्तक्षेप का विश्लेषण

सम्बन्ध और सम्बन्ध बोध

मर्द, मर्दानगी व महिलाओं पर होन वाली हिंसा:

हस्तक्षेप का विश्लेषण

अभिजीत दास,
रेचेल वॉल,
रुहुल अमिन बरभुईया,
शिशिर चन्द्र
व
सतीश कुमार सिंह

प्रका   ाक :
सहयोग
ए–240, इन्दिरा नगर, लखनउ–226016
उत्तर प्रदे   ा
फोन और फैक्स : +91–522–2310860, 2341319
ईमेल–kritirc@sahayogindia.org
वेबसाइट–www.sahayogindia.org/masvaw.htm

छपाई :
क्रिये   ान ग्राफीक्स लखनउ, मो0–9839007834

प्रका   ान :
2011

विशय सूचि

आभार.. 05

सारांश.. 06

प्रस्तावना.. 07

संदर्भ.. 07

पूर्व में हुए अध्ययन.. 08

अध्ययन का क्षेत्र.. 10

महिलाओं की स्थिति.. 10

मैसवा.. 11

वर्तमान अध्ययन.. 13

पद्धति.. 13

नमूना.. 13

आकड़ों का संकलन.. 15

आकड़ों का विश्लेषण.. 16

सीमा.. 16

परिणाम.. 18

अध्ययन समूह का परिचय.. 18

जेण्डर रुढ़ीवादिता, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और महिलाओं की स्वायत्ता के प्रति व्यवहार.. 19

घरेलू कार्य में पुरुषों की भागीदारी.. 23

बच्चों की देखभाल के प्रति पुरुषों का व्यवहार व भागीदारी.. 25

महिलाओं के साथ रिश्ते.. 27

महिलाओं और बच्चों के संरक्षण के लिये बने कानून का ज्ञान.. 29

जेण्डर समानता के दृष्टिकोण से यौनिकता और मर्दानगी के प्रति व्यवहार 30

निष्कर्ष, चर्चा और सुझाव.. 33

तीनों समूहों के उत्तरदाताओं में उभरते अंतर जो देखने को मिले.. 33

मैसवा कार्यकर्ता और गतिविधियाँ अन्य पुरुषों को प्रभावित कर रहें हैं.. 35

अच्छी शुरुआत है परन्तु अभी आधा ही हुआ है: क्षेत्र जिन्हें और मजबूत करने की जरुरत है।.. 39

कमियाँ अथवा वे क्षेत्र जिनका पर्याप्त रुप से पता नहीं लगाया जा सका.... 40

भावी कदम की दिशा.. 42

संदर्भ.. 43

आभार

यह अध्ययन मैसवा कोर समूह और जिला फोरम के सदस्य जो एजेण्डा को स्थापित करने और बाद में प्रक्रियाओं को चलाने में मददगार थे के सहयोग बिना सम्भव नहीं था। उनमें से मुख्य रुप से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समाज कार्य विभाग से डॉ संजय और उनके छात्र थे। राजदेव चतुर्वेदी और संतोष कुशवाहा ने प्रारम्भ में जिले का आंकलन किया जिसके आधार पर इस अध्ययन के लिये पांच जिलों की पहचान की गई। हम सहयोग और सी.एच.एस.जे. के अपने सहयोगियों और मुख्य रुप से जशोधरा दास गुप्ता जो मैसवा को लगातार सहयोग दे रहीं हैं को उनके द्वारा अन्वेषकों को मदद करने के लिये मुश्किल प्रश्नो को रखने और साथ ही प्रथम ड्राफ्ट को पढ़ने और उसपर टिप्पणी देने के लिये धन्यवाद देना चाहेंगे। हम डॉ अमित्राजीत साहा को ध्यानपूर्वक रिपोर्ट को पढ़ने व उसपर अपनी बहमुल्य टिप्पणी देने के लिये भी धन्यवाद देते हैं।

सारांश

महिलाओं के खिलाफ हिंसा दुनिया के सभी कोनो में एक गम्भीर समस्या है और भारत में भी इसको एक व्यापक समस्या के रुप में देखा जा रहा है। महिला हिंसा को कम करने वाले कुछ प्रयासों ने पुरुषों को इस मुद्दे को संबोधित करने वाले कार्यकर्ता के रुप में शामिल करना शुरु किया है। वर्तमान अध्ययन मेन्स एक्शान फॉर स्टॉपिंग वॉयलेन्स अगेन्स्ट विमेन (मैसवा) के कार्यकर्ताओं पर केन्द्रित है। मैसवा पुरुष कार्यकर्ताओं का एक नेटवर्क है जो उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जेण्डर आधारित हिंसा को संबोधित करने का काम कर रहें हैं। अध्ययन के दो प्रमुख उद्देश्य हैं: ये निर्धारित करना कि कैसे और किस हद तक मैसवा के प्रमुख सदस्य (कोर मेम्बर) जेण्डर समानता पर आधारित विचारों और व्यवहार को अपने जीवन में शामिल करते हैं, और इन पुरुषों के आसपास रहनेवाले दूसरे पुरुषों पर इनके प्रभाव को मापना। यह अध्ययन तीन समूहों के साथ किया गया है। मैसवा नेटवर्क के अन्दर मुख्य कार्यकर्ता (समूह 1), वे पुरुष जिनके साथ मैसवा के मुख्य कार्यकताओं ने पहुँच बनाई (समूह 2) और एक पुरुषों का नियंत्रण समूह जिनके साथ मैसवा के कार्यकर्ताओं का कोई सम्पर्क नहीं था (समूह 3)। जाँच किये गये विषयों में परवरिश, घरेलू कार्य में भागीदारी, पति–पत्नि सम्बन्ध, यौनिकता और मर्दानगी शामिल हैं। पुरुष जो मैसवा आंदोलन के केन्द्रित थे (समूह 2), भी जेण्डर समानता विश्वास व व्यवहार के मापक पर उन पुरुषों की तुलना में काफी अधिक अंक प्राप्त किये जिनका मैसवा के साथ कोई जुड़ाव नहीं था। इससे यह संकेत मिलता है कि मैसवा आंदोलन कई क्षेत्र में सफल रहा है। मैसवा के मुख्य कार्यकर्ताओं ने सभी समूहों में सबसे अधिक अंक प्राप्त किये, जो ये संकेत दे रहे हैं कि मुख्य कार्यकर्ता अपने निजी जीवन में जेण्डर समानता आधारित व्यवहार व विश्वास को शामिल करते हैं। हॉलाकि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ मैसवा के मुख्य कार्यकर्ताओं ने भी कम अंक प्राप्त किया है जो अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता को दर्शाता है।

प्रस्तावना

संदर्भ

महिलाओं के खिलाफ हिंसा, विषेष रुप से परिवार के सदस्यों द्वारा की गयी हिंसा, दुनिया के सभी कोनों में एक गंभीर समस्या है। अन्य कई देशों की तरह भारत में भी इसको एक निजी मामले की तरह ही माना जाता है और इस तरह की हिंसा काफी कम दर्ज की जाती है। हॉलाकि, सर्वेक्षण अनुसंधान भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की काफी उच्च दर बताते हैं। 10000 परिवारों के एक सर्वेक्षण में, 50 प्रतिशत महिलाओं ने शारीरिक व मानसिक हिंसा की बात कही और 40.3 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया था जिसमें थप्पड़ मारना, मारना, लात मारना, डराना या फिर हथियार के प्रयोग और जबरदस्ती सेक्स करना शामिल है (INCLEN, 2000; ICRW 1999)। यह आगे चलकर पुनः राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 (2005–06) द्वारा पुष्ट होती है। ढांचागत और वैचारिक दोनों कारक भारत में हिंसा की आवृत्ति में योगदान करते रहते हैं। अपने परिवार को छोड़ कर रहनेवाली महिलाओं के साथ कलंक जुड़ जाता है, और इसके अलावा भी महिलाएं आर्थिक रुप से अक्सर अपने पति के परिवार पर निर्भर रहती हैं और चाह कर भी हिंसक परिस्थिति को छोड़ने में असमर्थ रहती हैं। इसके अलावा, मर्दानगी की धारणायें और पुरुषों व महिलाओं के बीच संबन्धों पर सामाजिक नियम हिंसा को न केवल सहन करने को बल्कि शादी के एक सामान्य हिस्से के रुप में भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा को स्वीकार करने को कहते हैं (ICRW, 2002)।

भारत में व्यापक स्तर पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं और सामाजिक स्वीकृति ने आंदोलनकारियों को इसे रोकने के लिये अपनी रणनीति पर पुर्नविचार करने की ओर ले गये हैं। अभी हाल तक, हस्तक्षेप महिलाओं पर केन्द्रित रहा है। आमतौर पर आंदोलनकारी हिंसा की स्थिति में महिलाओं के चयन को समर्थन और बदलने पर ध्यान देते थे। पुरुष शायद ही कभी शोधकर्ताओं द्वारा साक्षात्कार किये गये हों या हस्तक्षेप के लिये लक्षित किये गये हों। हॉलाकि, यह स्पष्ट है कि महिलाओं के जीवन में बदलाव के लिये उनके अपने पति, भाई, और पिता भी हस्तक्षेप के विषय होने चाहिए थे। यह भी मान्य है कि सभी पुरुष अपराधी नहीं हैं। जो हिंसक नहीं हैं वे हिंसा के खिलाफ संघर्ष में भी मुख्य संसाधन हो सकते हैं (ICRW, 2002)। नेटवर्क जैसे मैसवा उन पुरुषों तक पहुँच बनाता है जो स्वयं हिंसक तो नहीं हैं लेकिन व्यक्तिगत रुप से अपने घरों ओर समुदायों में हिंसा से लड़ने में अक्षम महसूस करते हैं। मैसवा विविध पेशों और समुदायों के पुरुषों को जोड़ता है, और समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का एक नेटवर्क बनाता है जो महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने हेतू प्रशिक्षण व सम्बल प्रदान करता है। मैसवा इन पुरुषों को तैयार करता है ताकि वे स्वयं आंदोलनकारी की भूमिका में आयें, तथा अपने समुदाय के भीतर अन्य पुरुषों तक पुहँच बनायें। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रणनीति आंदोलन को ऐसे संस्थानों के अन्तर्गत बदलाव के लिये सक्षम बनाता है जिनमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा की अनुमति है।

पूर्व में हुए अध्ययन

पूर्व से हुए अध्ययन से पता चलता है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा, मर्दानगी की प्रचलित विचारधाराओं और असमान जेण्डर सत्ता संबन्ध के साथ मजबूती से बंधे हुए हैं (ICRW, 2002)। पूर्व अध्ययन के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा की दर में वृद्धि तब होती है जब ऐसी घटनायें होतीं हैं जो मर्दाना पहचानों को कमजोर करती हों। (मोरे 1994)। एक पुरुष हिंसक तब हो सकता है जब उसकी पत्नि उसके सत्ता को को चुनौती देती है (फुलर 1994)या यदि उसकी पत्नि जीवन यापन के लिये कमाने को सक्षम है, खासकर अगर ये ऐसे समय में होता है जब वह (पुरुष) ये सब करने में सक्षम नहीं होता (Silberschhmidt 2001)। इसके अलावा बांग्लादेश (Koenig 2003) व भारत (Mogord and Das 2007) के हाल ही के अध्ययन दिखाते हैं कि हिंसा का जोखिम महिलाओं के सशक्त या स्वायत्त होने की वजह का भी एक नतीजा है। अधिक रुढ़ीवादी सामाजिक व्यवस्था में अधिक स्वायत्ता घरेलू संघर्ष व हिंसा के जोखिम को बढ़ा देता है। कम रुढ़ीवादी व्यवस्था में महिलाओं की स्वायत्ता उनके जोखिम को घटा देता है। (सी.एच.एस.जे. में 2009 में दर्ज)। पुरुष सत्ता को चुनौती केवल घर से ही नहीं मिलती है। एक अध्ययन में पाया गया कि इसराइल में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की दर में वृद्धि तब हुई जब देश खतरे में था, लेकिन इसे देश की सुरक्षा नीति मे समायोजित नहीं किया गया था (क्लाईन 1999)। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा देखते हुए इस तरह के पुरुष अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। कुछ पुरुष इस तरह की राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे में असहाय महसूस कर सकते है, क्योंकि वे देश को बचाने वाली प्रक्रियाओं या गतिविधियों में जुड़ने के काबिल नहीं हैं।

इस शोध के अन्तर्दृष्टि ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिये पुरुषों के साथ काम करने की एक नया दृष्टिकोण शुरु की है जिसमें न केवल पुरुषों के व्यवहार को लक्षित करने के लिये बल्कि वे विश्वास और प्रवृत्ति जो उनके व्यवहार को उत्तेजित व आधार प्रदान करते हैं पर भी हस्तक्षेप करने के लिये शुरुआत की गई। उदाहरण के लिये, मैसवा का उद्देश्य पुरुषों को कौशल और कानूनी ज्ञान के साथ साथ महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिये लैस करना है। प्रशिक्षण, कार्यशाला और बैठकों का उद्देश्य पुरुषों को उनके अपने विश्वासों और व्यवहार पर चिंतन करने के लिए संलग्न करने के साथ–साथ अपने समुदाय में विश्वास और प्रवृत्ति पर चर्चा करना भी है।

पिछले एक गुणात्मक अध्ययन में कोर मैसवा के कार्यकर्ताओं के मर्दानगी और हिंसा के बारे में विश्वासों और दृष्टिकोण की जाँच की गई है (मॉगफोर्ड व दास 2007)। परिवर्तन के विभिन्न क्षेत्र (डोमेन) जो इस अध्ययन में भाामिल किये गये हैं वो इस प्रकार हैं–

- महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की समझ में वृद्धि।
- अपने व्यक्तिगत स्तर पर भेदभाव और हिंसक व्यवहार की पहचान और व्यक्तिगत स्तर पर परिवर्तन करने के प्रयास। घर के काम और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियों की भागीदारी।
- पत्नि के लिये सम्मान में वृद्धि जिसमें प्रगाढ़ दोस्ती और गैर सहमति वाले शारीरिक सम्बन्ध की समाप्ति शामिल है।

- पत्नि को उसकी अपनी स्वायत्ता के लिए सम्मान और अधिक अवसर प्रदान करना।
- मतभेद और क्रोध का नया प्रबन्धन।
- भावनात्मक अभिव्यक्ति की व्यापक सीमा।
- साथियों के साथ बेहतर दोस्ती– ज्यादा सुनना, साझा करना और गहराई।
- नेतृत्व, सलाह और दूसरों को प्रभावित करना।

यह परिमाणात्मक अध्ययन न केवल एक बड़ा परिमाणात्मक परीक्षा के माध्यम से इन परिवर्तनो को मान्य करने की कोशिश करता है बल्कि दूसरे पुरुषों पर इसके प्रभाव समझने का भी प्रयास तीनो समूहों के विश्वास, व्यवहार और तरीकों की जाँच के द्वारा करता है। यो तीनो समूह हैं– मैसवा के भीतर मुख्य कार्यकर्ता (नेतृत्व में रहने वाले लोग), वे पुरुष जिनके साथ उनके समुदाय स्तर के अभियानों में काम किया है। और एक नियंत्रण समूह के वे पुरुष जिसके साथ मैसवा आंदोलन का कोई सम्पर्क नहीं था। महिला हिंसा समाप्त करने व जेण्डर समानता बढ़ाने के संदर्भ में पुरुषों की भागीदारी पर हो रहे अंतर्राष्ट्रीय पहल व रूझान की दृष्टि से पुरुषों के साथ काम में शामिल पद्धतियों को समझना अति महत्वपूर्ण है।

अध्ययन का क्षेत्र

यह अध्ययन उत्तर प्रदेश में किया गया, जहाँ मैसवा ने अपनी यात्रा शुरु की और सबसे ज्यादा सक्रिय है। यह भारत के उत्तर भरतीय राज्य की सबसे आबादी वाला राज्य है, जहां 80 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। उत्तर प्रदेश गरीबी के उच्च स्तर से ग्रस्त है। यह भारतीय मानव विकास सूचकांक में 15 राज्यों में 13वें स्थान पर है (भारत सरकार की योजना आयोग, 2001)। राज्य की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय में सबसे काम वाला राज्य है, और अध्ययन के 6 में से 5 जिलों (प्रतापगढ़, गाजीपुर, बांदा, मिर्जापुर और बाराबंकी) का स्थान राज्य की औसतन आय से बहुत कम है। उत्तर प्रदेश चिकित्सा सुविधाएं प्रथमिक विद्यालयों में शिक्षक–शिक्षार्थी अनुपात, जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता जैसे सामाजिक विकास के संकेतांक के मामलों में अन्य राज्यों से भी पीछे है। यह 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में कुपोषण के मामाले में बिहार के बाद दूसरे स्थान पर है। व्यापक गरीबी के अलावा आर्थिक संसाधन के वितरण में महत्वपूर्ण असमानता विद्यमान है, विशेष रुप से एक तरफ ऊँची जाति के हिन्दुओं व दूसरी तरफ निचली जाति के हिन्दू और मुस्लमानों के बीच। (उत्तर प्रदेश सरकार 2006)

महिलाओं की स्थिति

उत्तर प्रदेश में महिलाओं की दशा भी भारत में सबसे निम्न है। महिलाओं की स्वायत्ता अत्यधिक सीमित है, जैसे उनके स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी सेवाओं तक पहुँच। औसतन हर पंद्रह अंतर्राष्ट्रीय मातृ मृत्यु में से एक उत्तर प्रदेश में होती है। आधे से कम लड़कियां साक्षर हैं (42.98 प्रतिशत) और 61 प्रतिशत लड़कियों की 18 वर्ष से कम उम्र में शादी हो जाती है (यू.एस.एड. 2008)। 42.98 प्रतिशत लड़कियाँ जो साक्षर हैं में से केवल 40 प्रतिशत लड़कियों ने 8वीं तक की शिक्षा पूरी की (यू.एस.एड. 2008)। जब लड़कियों की शादी होती है तो वे आम तौर पर पति के परिवार के साथ रहतीं हैं, इस परिस्थिति में उनके पास कम या कोई स्वायत्ता नहीं होती और अक्सर प्रताड़ित होती रहतीं हैं। महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयास कई बार हुये हैं किन्तु बदलाव में नाम मात्र का परिवर्तन हुआ है। वास्तविक सबूतों से पता चलता है कि पंचायतों (स्थानीय शासी परिषद) के लिये निर्वाचित महिलाओं को अक्सर बैठकों में भाग लेने के लिये अनुमति नहीं दी जाती, और कई बार उन्हें पता भी नहीं होता कि उन्हें चुना गया है। इसके बजाय, पति या परिवार के अन्य पुरुष सदस्य सार्वजनिक बैठकों में और निर्णय लेने में उसकी भूमिका अदा करते हैं (अक्सर इसे बहु–बेटी पंचायती राज कहा जाता है जहाँ घर के पुरुषों को पंचायत में सक्रिय जगह दिलाने के लिए घर की बेटी और बहू आधिकारिक तौर पर निर्वाचित होती है)।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा उत्तर प्रदेश में एक आम घटना है: राज्य महिलाओं के खिलाफ अपराध में दूसरा (आंध्र प्रदेश के बाद) स्थान रखता है। बहुत सारी जेण्डर आधारित हिंसा पुलिस द्वारा भी दर्ज नहीं की जाती तथा महिलाओं द्वारा भी दर्ज नहीं करायी जाती। जो भी हो लेकिन महिला हिंसा की संख्या अभी भी उच्च है। राज्य पुलिस विभाग रिकॉर्ड के अनुसार 2006 में कुल 14925 महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामला दर्ज किया गया। इनमें 1795 दहेज हत्या, 1161 बलात्कार और 2295 अपहरण शामिल है। महिलाओं को अन्य जाति/धर्म में शादी करने, घर द्वारा तय की गयी शादी को मना करने, विवाह पूर्व/विवाह इतर संबंध बनाने पर हासिए में डाल दिया जाता है या प्रताड़ित किया जाता है। चकित करने वाली बात यह है कि अधिकांशतः महिलाओं के खिलाफ अपराध परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती है (उत्तर प्रदेश शासन, 2006)। मजबूत सांस्कृतिक मान्यतायें, शासकीय व आक्रामक मर्दानगी, पुरुषों के संदर्भ में महिलाओं की जगह के बारे में कठोर विश्वास और स्वायत्ता के लिये महिलाओं पर सामाजिक–आर्थिक बाधायें सभी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बढ़ोतरी के लिये योगदान देते हैं। वास्तव में, पिछले अध्ययन बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा असाधारण के बजाय समान्य माना जाता है (मार्टिन एट एल 2002)।

मैसवा

मैसवा या मेन्स एक्शन फॉर स्टॉपिंग वॉयलेन्स अगेन्स्ट विमेन एक नेटवर्क है जो 2002 में शुरु हुआ था और बाद में उत्तर प्रदेश व उत्तरांचल के करीब 40 से अधिक जिलों में फैला। मैसवा कार्यकर्ताओं में विश्वविद्यालयों के युवा, ग्रामीण किशोर, स्कूल व विश्वविद्यालयों के शिक्षक, मीडिया के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निर्वाचित पार्षद शामिल हैं। अभियान में जुड़े कार्यकर्ताओं का मानना है कि सबसे अधिक पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में भी वहाँ कुछ पुरुष हैं जो अहिंसक हैं और जो एक जेण्डर समानता स्थापित करना चाहते हैं। मैसवा इन पुरुषों व लड़कों को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में व्यक्तिगत और जहाँ जरुरत हो सार्वजनिक रुप से खड़े होने में सहयोग देता है। यह पुरुषों और युवकों को अपने स्वयं की चिंताओं और भावनाओं को व्यक्त करने के लिये एक सुरक्षित स्थान भी प्रदान करता है। मैसवा की प्रमुख गतिविधियों में जेण्डर, मर्दानगी व यौनिकता के मुद्दे पर पुरुषों के साथ प्रशिक्षण व कार्यशाला, समय समय पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर अभियान, संकट में मदद केन्द्र से पीड़ित महिला को जोड़ने के माध्यम से सहयोग प्रदान करना आदि शामिल हैं। मैसवा के कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का अपने क्षेत्र में आयोजन करते हैं। इस प्रकार स्कूल/कॉलेज के शिक्षक सत्र एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे प्रश्नोत्तरी और वाद विवाद का आयोजन करते हैं, जो मीडिया में हैं वे अधिक संवेदनशीलता से लिखते हैं, जो गैर सरकारी संगठनों में हैं वे पुरुषों व युवकों को संगठित कर समय–समय पर प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। और इस प्रकार से अन्य लोग भी अपने अपने कार्य क्षेत्र में गतिविधियों का आयोजन करते रहते हैं। लगातार महिलाओं के आंदोलनों से जुड़ाव रखना मैसवा का एक मुख्य सिद्धान्त है और इस प्रकार मैसवा के कार्यकर्ता भी अपने कार्य क्षेत्र में महिला मानव अधिकार संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हैं। इस प्रकार समुदाय के स्तर पर मैसवा गतिविधियों के चार प्रमुख खम्भे हैं–

- प्रशिक्षण व कार्यशालाओं के माध्यम से समुदाय स्तर पर समूह शिक्षा।
- सीखने हेतु युवाओं और पुरुषों का नेटवर्क, क्रिया एवं प्रतिक्रिया।
- आम समुदाय के बीच जगरुकता बढ़ाने के लिये और समूहों में दूसरों को जोड़नें के लिये समय समय पर अभियान।
- महिला समूहों को साथ में जोड़ना तथा उनके साथ जुड़ना।

मैसवा और उसकी गतिविधियों की विस्तृत दस्तावेज़ (भंडारी 2008), मैसवा (अदिनांकित), मैसवा 2004 पर उपलब्ध है।

वर्तमान अध्ययन

वर्तमान अध्ययन को दो उद्देश्य दिशा निर्देशित कर रहें हैं। पहला, यह अध्ययन पिछले गुणात्मक कार्य में परिमाणात्मक माप जोड़ना चाहता है जिसमें मैसवा के मुख्य कार्यकर्ताओं ने अपने निजी जीवन में जेण्डर समानता पर अधारित विश्वासों और व्यवहार का विवरण दिया है। दूसरा, हमारा लक्ष्य जेण्डर आधारित हमारे विश्वासों को एक तुलना के माध्यम से मैसवा गतिविधियों में भागीदारी के प्रभाव और तीन समूहों के व्यवहार : मुख्य मैसवा कार्यकर्ता, मैसवा हस्तक्षेप द्वारा लक्षित पुरुष, और एक पुरुषों का नियंत्रण समूह जो मैसवा हस्तक्षेप द्वारा प्रभावित नहीं हुआ है। हमारा उद्देश्य यह भी पता करना है कि मैसवा से सक्रिय रुप से जुड़े पुरुषों में मैसवा से न जुड़े पुरुषों के अपेक्षा जेण्डर समानता पर आधारित विश्वास और व्यवहार में किस हद तक व किस अनुपात में बदलाव आया है।

पद्धति

नमूना

अध्ययन में लिया गया नमूना कुछ हद तक सुविधापरक व कुछ हद तक विचारात्मक चयन पद्धति पर आधारित है। यह इसलिये भी किया गया क्योंकि अध्ययन करने के लिये बहुत कम संसाधन उपलब्ध थे। नमूने का आकार अनियमित/बेतरतीब तरीके से तैयार किया गया था। नमूना पद्धति के अनियमित व सौद्देश्य घटकों को ध्यान में रखते हुये सामान्यीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिये कुछ ध्यान व नियंत्रण नमूने में अनियमित्ता की मात्रा पर भी रखी गई थी। जबकी कुल नमूना आकार मनमाने ढंग से तैयार किया गया था तो भी तीन समूहों में 375 व्यक्ति बहुत कम नहीं थे। प्रतिभागी तीनो समूहों से नमूने के लिये लिये गये थे। दो हस्तक्षेपित समूह (समूह1 और समूह2) और एक नियंत्रण समूह (समूह3)। हस्तक्षेपित समूह 1 उन पुरुषों को शामिल करता है जो जिला अथवा राज्य स्तर पर मैसवा की गतिविधियों में सक्रिय हैं तथा नेत्रित्व में हैं। वे सभी अपने जिले के मैसवा जिला फोरम के सदस्य हैं। समूह 2 अथवा मैसवा से प्रभावित पुरुष जो गाँव के एक नमूने से लिये गये थे जहाँ मैसवा के सदस्यों ने कोई अभियान अथवा गतिविधि आयोजित की थी।

दो चरणीय नमूना प्रक्रिया को अपनाया गया था। प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के 20 ऐसे जिलों में से जहाँ मैसवा सक्रिय था, 5 जिलों को चुना गया। पाँच की संख्या मनमाने ढंग से ली गयी थी, हॉलाकि उन्हें पहचान करने के लिये एक समझी– बूझी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया था। दो वरिष्ठ मैसवा कोर समूह के सदस्य सभी 20 जिलों का क्षेत्र भ्रमण कर साक्षात्कार का आयोजन व रिकार्डों का निरीक्षण कर एक अध्ययन किया ताकि जिला इकाईयों को अंक व श्रेणीबद्ध किया जा सके। अंक प्रदान करने व श्रेणीबद्ध करने के लिये विभिन्न मापदण्डों का इस्तेमाल किया गया। जिला इकाईयों को अंक प्रदान करने व श्रेणीबद्ध करने के लिये जो तरीका इस्तेमाल किया गया था उसमें नियमित बैठकों व प्रतिवेदन रस्टिर का रख रखाव, सदस्यों की सूची का रख रखाव, सामूहिक मैसवा अभियान में भागीदारी, स्वतंत्र रुप से जिला इकाई की

उनके मूल्यांकन के आधार पर 5 सबसे सक्रिय जिलों को अध्ययन के लिये चयनित किया गया। इन जिलों में बांदा, चित्रकूट, गाजीपुर, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ शामिल हैं। 20 मैसवा जिले टीम से लगभग 500 सक्रिय मैसवा सदस्य जुड़े हैं। इन सक्रिय सदस्यों के बीच से 100 नमूने लेने का निर्णय लिया गया। इन चुनिन्दा जिलों में से प्रत्येक से 15 सदस्यों और 25 मैसवा कोर समूहों के सदस्यों को शामिल करने का निर्णय लिया गया, जिनमें शामिल हैं 2 और 3 जिला इकाई के सदस्य और कुछ अन्य सदस्य जो विश्वविद्यालयों के शिक्षक, मीडिया व्यक्ति, एन.जी.ओ. कार्यकर्ता जो शहरों में रहते हैं, परन्तु सीधे तौर पर मैसवा जिला इकाई से सम्बद्ध नहीं रखते। अंत में 100 के बजाय कुल 98 मैसवा से जुड़े व्यक्ति सर्वेक्षण का हिस्सा थे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि समूह 1 मैसवा के सक्रिय सदस्यों को समाविष्ठ करता है जो महिलाओं के लिये सम्पत्ति का अधिकार, महिलाओं के लिये सार्वजनिक जीवन में भागीदारी, बालिकाओं के अधिकार और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण जैसे मुद्दो पर सीधे मैसवा द्वारा अभियान में प्रतिभागिता किये थे। इन अभियानों में विभिन्न गतिविधियाँ जैसे मोमबत्ती रोशनी प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक, और समूह चर्चा आदि शामिल है। समूह 1 के पुरुष विभिन्न मुद्दों जैसे– जेण्डर, मर्दानगी और घरेलू हिंसा के कारण आदि पर प्रशिक्षणों का संचालन व प्रतिभाग भी करते हैं।

समूह दो में 175 व्यक्तियों को अनियमित तरीके से शामिल करने का निर्णय किया गया था। समूह दो के उत्तरदाताओं को चयन करने के क्रम में हमने प्रत्येक जिले से 35 व्यक्तियों को शामिल करने का निर्णय लिया। इस क्रम में नमूने की अनियमितता को कुछ हद तक सुनिि चत कराने के लिये हमने 5 जिलों के जिला फोरम के मैसवा कार्यकर्ताओं से उन गाँव की सूची बनाने को कहा जो मैसवा के अभियानों और गतिविधियों में भाामिल रहे हैं। इन सूचियों में से 5 गाँव को अनियमित तरीके से चुना गया और बाद में प्रत्येक गाँव से 7 व्यक्तियों को अनियमित तरीके से साक्षात्कार के लिये चुना गया। प्रत्येक गाँव से 7 व्यक्ति जिन्हें अनियमित तरीके से चुना गया था उन्हे गाँव के लोगों से अनियमित/बेतरतीब तरीके से मिलकर व बात करके चुना गया थाः जैसे– दरवाजे पर दस्तक कर अनुमति लेना, चाय की दुकान पर किसी से बात करके, राह चलते किसी से बात करके आदि। अनियमितता को प्राप्त करने के लिये घर की सूची तैयार करना अथवा गाँव का नक्शा तैयार करने चयन जैसा कोई प्रयास नहीं किया गया था। मैसवा प्रभावित समूह के समान्य लक्षण हैं, कि वे मैसवा जिला फोरम के सदस्यों द्वारा आयोजित गतिविधियों और अभियानों में प्रतिभागिता किये होंगे जिससे उनके प्रभावित होने की उच्च सम्भावना थी।

तीसरे समूह के लिये शुरुआत में 125 व्यक्तियों को शामिल करने का निर्णय लिया गया था (ताकी कुल नमूने का आकार 400 का हो जाये), परन्तु कुछ प्रक्रिया सम्बन्धित सीमाओं के कारण केवल 100 व्यक्तियों को ही शामिल किया गया। इस समूह चयन में अपनाई गई विधि के तहत जिला बाराबंकी का चयन किया गया जहाँ मैसवा की कोई गतिविधियाँ नहीं हुई थी। हॉलाकि बाराबंकी को चुनने का पहला कारण इसकी सहुलियत थी कि वो लखनऊ से करीब था, और शोध टीम यहाँ किसी को जानती थी जो इस जिले से परिचित था। ब्लाकों की सूची तैयार की गई और 5 ब्लाक को अनियमित तरीके से चुना गया। इन सभी 5 ब्लाकों में प्रत्येक के लिये गाँव की सूची तैयार की गई थी और उनमें 2 गाँव को अनियमित तरीके से चुना गया।

अनियमित चयन हेतु लॉटरी पद्धति का उपयोग किया गया था। एक बार गाँव का चुनाव हो जाने के बाद अनियमित क्षेत्र साक्षात्कार पद्धति जो पहले चरण में अपनाया गया था का उपयोग कर इन दस गाँव से दस–दस पुरुषों का साक्षात्कार किया गया। नियंत्रण समूह के चयन में किसी भी परिवर्तनशील घटक का मिलान नहीं किया गया था।

आकड़ों का संकलन

एक सर्वे प्रपत्र हिन्दी में बनाया गया था जिसे मौखिक रुप से सहमति के बाद सभी उत्तरदाताओं को उपलब्ध कराया गया था। यह प्रपत्र आंकड़े संकलन से पूर्व क्षेत्र में परीक्षित किया गया था। जिसमें नजरिये से संबन्धित 43 प्रश्न, कार्य से संबन्धित 14 प्रश्न और निर्णय लेने से संबन्धित 10 प्रश्नों की कई डोमेन को शामिल करती हुइ एक प्रश्नावली बनाई गई थी। सर्वेक्षण विषयों में जेण्डर संबन्धित विश्वास, व्यवहार व कानून को लिया गया था। मुख्य रुप से सर्वेक्षण के तहत उन छः डोमेन को मापने के लिये तैयार किया गया था जिसकी पिछले गुणात्मक कार्य के माध्यम से पहचान की गई थी (मॉगफोर्ड व दास 2007)। इन विशय/डोमेन में शामिल हैं–

- जेण्डर रुढ़ीवादिता, महिलाओं के खिलाफ हिंसा व महिलाओं की स्वायत्ता के प्रति नजरिया।
- घरेलू कार्य में पुरुषों की भागीदारी।
- बच्चों की परवरिश के प्रति पुरुषों का व्यवहार व भागीदारी।
- उत्तरदाताओं की अपनी पत्नि के साथ रिश्ते।
- महिलाओं व बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने वाले कानूनों की जानकारी।
- यौनिकता व मर्दानगी के प्रति नजरिया।

हमारा लक्ष्य इन मुद्दों पर जेण्डर समानता आधारित प्रतिक्रियाओं के अनुपात व अंतर को समझना था जिसकी पिछले गुणात्मक कार्य में प्रासंगिकता देखी गई थी। इन डोमेन में दिये गये कुछ विषय एक से अधिक श्रेणी में आ गये हैं। तथा ये डोमेन आपस में अंतर संबंध भी रखते हैं। इस प्रकार डोमेन आपस में पूरी तरह एक दूसरे से अलग नहीं थे। उदाहरण के लिये एक बयान कि ''एक पुरुष के लिये अपनी पत्नि के साथ यौन सम्बन्ध ठीक है भले ही पत्नि की उसमें स्वीकृति चाहे न हो'' जो एक ''यौनिक नजरिया'' और ''पत्नि के साथ सम्बन्ध के प्रति व्यवहार'' के विषय में शामिल है। *लिकर्ट* पैमाने परः व्यवहार व विश्वास के प्रश्नों पर उत्तर इस तरह दिया जा सकता था – 'पूरी तरह सहमत', 'आंशिक रुप से सहमत', 'इसके बारे में कभी सोचा नहीं', असहमत'। कानून की जानकारी के सम्बन्ध में 'हाँ मै जानता हूँ', 'कभी सुना नहीं', 'सुना है लेकिन बहुत कम'। घरेलू कार्य के निर्णय लेने में भागीदारी के बारे में प्रश्नों के लिये पारिवारिक भूमिका का संयोजन (जैसेः अधिकांश पत्नि, अधिकांश पति, समान रुप से साझेदारी) के द्वारा प्रतिक्रियायें सीमित थीं। सर्वेक्षण प्रश्नावली प्रायोगिक परीक्षण के बाद शुद्ध किया गया और सर्वेक्षण टीम प्रशिक्षण देने के लिये दो दिवसीय प्रशिक्षण से गुजरी थी।

आकड़ों का विश्लेषण

आकड़ों का विश्लेषण करने के लिये, जैसा ऊपर चर्चा की जा चुकी है सर्वेक्षण विषय डोमेन व उप–डोमेन में विभाजित की गई और प्रतिक्रियाओं को पहले कूटबद्ध किया गया कि वे जेण्डर समानता आधारित हैं या नहीं। प्रतिक्रियाएं तभी कोडित की गई जब वे गैर उभयभावी वाले उत्तर थे। उदाहरण के रुप में जैसे एक विषय ''विवाहित महिलाओं को उनके पिता की सम्पत्ति में अधिकार नहीं होना चहिये'' इसमें केवल असहमत वाला उत्तर ही जेण्डर समानता आधारित के रुप में कोडित किया गया जबकी ''सहमत'' ''आंशिक रुप से सहमत'' और ''कभी सोचा नहीं'' को नहीं किया गया था। दूसरा, डोमेन व उप–डोमेन के जेण्डर समानता आधारित प्रतिक्रियाओं को 1 अंक देकर प्राप्तांकों की गणना की गई और सभी डोमेन व उप–डोमेन की गणना को जोड़ा गया। अंत में डोमेन व उप–डोमेन के प्राप्तांकों ''अत्यधिक जेण्डर समानता आधारित'', ''मामूली जेण्डर समानता आधारित'' और ''कम जेण्डर समानता आधारित'' श्रेणी में परिवर्तित किया गया जो क्रमशः 75 प्रतिशत से ज्यादा, 51 से 75 प्रतिशत के बीच, 50 प्रतिशत से कम थे। परिणामों की वैधता के लिये समूहों के बीच तुलना किया गया और सरल सांख्यिकीय परीक्षणों को लागू किया गया था।

सीमा

इस अध्ययन में दो तरह की सीमाएं थीं। पहली सीमा इस्तेमाल की गई पद्धति से संबन्धित है और दूसरी अध्ययन टीम से। पहली पद्धति से संबन्धित सीमा इस्तेमाल की गई नमूना विधि से संबन्धित है। दूसरा दो तुलना समूहों के माध्यम से परिवर्तन को समझने के लिये अंतर–अनुभागों का अध्ययन करने का प्रयास है। इस अध्ययन की यह एक सीमा रही है कि इन्हीं विषयों पर कुछ लम्बे समय तक अलग अलग अंतराल पर जांच नहीं हुई। यदि ये कर पाते तो मैसवा के प्रभाव की गहराई व व्यापकता का बेहतर अंदाजा लगता। इसके अलावा यह एक विशेष रुप से परिमाणात्मक अध्ययन है जो पिछले मैसवा सहयोगियों द्वारा आयोजित गुणात्मक अध्ययन का फॉलोअप करता है। एक मिश्रित अध्ययन पद्धति मैसवा कार्यकर्ताओं के तर्क व धारणाओं को और अधिक सूक्ष्म तरीके से समझने में मदद कर सकता है। तीसरा यह अध्ययन स्व–प्रतिवेदित प्रतिक्रियाओं पर आधारित है और उस सीमा का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि कौन उत्तरदाता ''सामाजिक वांछनीय'' उत्तर देता है। समग्र विश्लेषण में इस तरह के सामाजिक रुप से वांछनीय प्रतिक्रियाओं के प्रभावों को कम करने के लिये पारंपरिक शब्दों में बयान और प्रगतिशील शब्दों में बयान के प्रतिक्रियाओं का तुलना किया गया। अध्ययन को समान शिक्षा व सामाजिक स्तर से नमूना लेने की रणनीति द्वारा और बेहतर बनाया जा सकता है।

दूसरी सीमा समग्र पद्धति से संबन्धित है जो इस अध्ययन को करने के लिये इस्तेमाल की गई। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है मैसवा एक अभियान है और ऑक्सफैम इण्डिया की एक परियोजना के माध्यम से अपने सचिवालय की गतिविधियों को करने के लिये इसके पास सीमित फण्ड है।

यह अध्ययन उन व्यक्तियों द्वारा डिजाइन किया गया और कराया गया जो मैसवा से नजदीकी से जुड़े हैं या मैसवा के कोर ग्रुप के पार्ट हैं, ताकि यह समझा जा सके कि किस हद तक लोगों में बदलाव आया है, या कम उर्जा/संसाधन के माध्यम से किये जाने वाले कार्यक्रमों से कितना बदलाव किया जा सकता है। इस प्रकार इसका किसी तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया है। अतः इसमें कुछ निजी स्वार्थ के संकेत हो सकते हैं। इस अध्ययन के लिये उपलब्ध संसाधन सीमित थे और कुछ क्षेत्रीय शोधकर्ताओं की भागीदारी स्वैच्छिक थी। कम संसाधन का आधार भी अध्ययन के नमूने का आकार सीमित करता है। यद्यपि अध्ययन नमूना छोटा है और शोधकर्ता व्यक्तिगत रुप से अभिप्रेरित थे फिर भी अध्ययन को तैयार करने और उत्तरदाताओं के नमूने को व्यवस्थित करने में पूर्वाग्रहों से बचने के लिये बहुत ध्यान दिया गया था।

परिणाम

अध्ययन समूह का परिचय

सारिणी–1. 3 उत्तरदाता समूहों की आयु व अन्य विशेषताएं :

आयु समूह (वर्ष में)	सम्पूर्ण	समूह 1	समूह 2	समूह 3
18 – 25	97	13	57	27
26 – 35	152	44	60	48
36 – 45	85	32	37	16
46 – 55	30	7	17	6
56 से ऊपर	9	2	4	3
कुल (न)	373	98	175	100
मध्यमान आयु (वर्ष में)	32.7	34.4	32.5	31.6
माध्यिका आयु (वर्ष में)	31	33	30	29
औसत आयु (वर्ष में)	28	32	28	28
वैवाहिक स्थिति और परिवार				
विवाहित (प्रतिशत में)	80	83	74.3	88
संयुक्त/विस्तृत परिवार (प्रतिशत में)	57	73	53	50
एकल परिवार (प्रतिशत में)	40	25	43	49
धर्म व जाति				
हिन्दु (प्रतिशत में)	90	84	95	88
मुस्लिम (प्रतिशत में)	7.5	12	3.5	10
जाति– सामान्य और पिछड़ा वर्ग (प्रतिशत	70	71.5	64	77
जाति– अनु0/अनु0जन0 (प्रतिशत में)	29	26.5	34	23
शिक्षा और व्यवसाय				
10 साल तक की शिक्षा (प्रतिशत में)	40.5	10	35	79
11–12 तक शिक्षा (प्रतिशत में)	16.6	14	23	10

आयु समूह (वर्ष में)	सम्पूर्ण	समूह 1	समूह 2	समूह 3
13–15 तक शिक्षा (प्रतिशत में)	26	45	25	8
16 अथवा से अधिक (प्रतिशत में)	17	31	17	3
शिक्षा का मध्यमान वर्ष	11.6	14.7	12	7.9
किसान (प्रतिशत में)	13	5	14	20
वेतनिक श्रमिक (प्रतिशत में)	2	1	3	1
शिल्पकार (प्रतिशत में)	17.7	21	21	8
व्यवसायिक (प्रतिशत में)	3.5	6	3	1
नौकरी पेशा (प्रतिशत में)	30	45	34	8
छात्र (प्रतिशत में)	4.5	10	4	0
अज्ञात पेशा	29	12	20	62

अध्ययन समूह की विशेषता यह हो सकती है कि मुख्यत उत्तरदाता युवा और शादीशुदा हैं। प्रमुख रुप से हिन्दु जो ग्रामीण व अर्ध–ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले तथाकथित ऊँची जाति वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नियंत्रण समूह व हस्तक्षेप समूहों के बीच शैछिक व व्यवसायिक स्थिति में कुछ विविधता थी।

जेण्डर रुढ़ीवादिता, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और महिलाओं की स्वायत्ता के प्रति व्यवहार

जेण्डर रुढ़ीवादिता महिलाओं के खिलाफ हिंसा के प्रति व्यवहार : प्रश्नावली व्यवहारों के प्रति 43 प्रश्नो को शामिल करती है। नीचे दी गई तालिका (तालिका 2) 10 जेण्डर रुढ़ीवादिता, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और महिलाओं की स्वायत्ता से संबन्धित बयान पर तीन समूहों के बीच जेण्डर संवेदनशील प्रतिक्रिया में अंतर को प्रदर्शित करता है।

तालिका 2. उत्तरदाताओं के तीन समूहों में दृष्टिकोण से सम्बन्धित प्रश्नो पर जेण्डर संवेदित प्रतिक्रियाओं का अनुपात।

क्रम	जेण्डर रुढ़ीवादिता और महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबन्धित वक्तव्य	जेण्डर संवेदनशील जवाब देने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत		
		समूह 1 (न=98)	समूह 2 (न=175)	समूह 3 (न=100)
1	एक औरत की प्राथमिक भूमिका घर का ध्यान रखना है और सबके लिए खाना बनाना है, वहीं पुरुष की प्राथमिक भूमिका परिवार के लिए कमाना है।	67.35	40.00	6.00
2	परिवार की प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए एक	85.71	65.71	25.00
3	यदि एक औरत किसी पुरुष को धोखा देती है	81.63	70.29	23.00
4	महिलाओं को हमेशा पुरुषों के निर्णय का पालन करना चाहिए क्योंकि पुरुष रोटी कमाने वाला है।	88.78	54.29	25.00
5	महिलाओं के खिलाफ हिंसा का अर्थ महिलाओं	86.73	72.00	41.00
6	कई बार महिलाएं पीटी जाने की अधिकारी	77.55	61.71	22.00
7	यह एक पत्नि की जिम्मेदारी है कि वो गर्भनिरोधक का प्रयोग करे क्योंकि वो ही गर्भवती होती है।	82.65	68.00	46.00
8	यदि एक आदमी अपनी पत्नि/साथी से कम कमाता है तो यह शर्म/समस्या की बात है ।	84.69	67.43	24.00
9	जो महिलायें आधुनिक कपड़े पहनतीं हैं वो	86.73	75.43	30.00
10	कभी कभी महिला बलात्कार के लिये स्वयं जिम्मेदार होती है।	61.22	40.57	17.00

इस प्रकार इस तालिका से स्पष्ट होता है कि तीनों समूहों के बीच एक सुसंगत अंतर है जहाँ मैसवा पहचान रखने वाले पुरुष जेण्डर संवेदनशील प्रतिक्रियाओं की सर्वोच्च प्रतिशत दे रहें हैं। इस तालिका से अन्य स्पष्ट संकेत है कि मैसवा प्रभावित पुरुष अपनी प्रतिक्रिया में तीसरे समूहों के पुरुषों की तुलना में जेण्डर संवेदनशीलता के उच्च स्तर पर भी हैं।

महिला स्वायत्ता और अधिकार : यह प्रश्नावली महिलाओं की स्वायत्ता और घर से बाहर काम करने से संबन्धित 9 प्रश्नो का संकलन है, और जैसा कि तालिका 3 (नीचे) दर्शाता है, उसी तरह की प्रतिक्रियाओं का एक स्वरुप इन उदाहरणों में भीदेखा जा सकता है।

तालिका 3. उत्तरदाताओं के तीन समूहों के द्वारा महिला स्वायत्ता और अधिकार से संबन्धित जेण्डर संवेदित प्रतिक्रियाओं का अनुपातः

क्रम	**महिलाओं की स्वायत्ता और अधिकार से संबन्धित वक्तव्य**	**जेण्डर संवेदनशील जवाब देने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत**		
		समूह 1 (न=98)	समूह 2 (न=175)	समूह 3 (न=100)
1	केवल पुरुषों को पंचायत की बैठकों में भाग लेना चाहिए।	96.94	72.57	54.00
2	विवाहित महिलाओं को उनके पिता की सम्पत्ति में अधिकार नहीं होना चाहिए।	78.57	64.57	43.00
3	सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिये कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए।	83.67	76.57	58.00
4	महिलायें कब और किससे शादी करना चाहतीं हैं यह तय करने के लिये स्वतंत्र होनी चाहिए।	85.71	68.57	29.00
5	पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिये समान वेतन मिलना चाहिए।	94.90	89.14	88.00
6	पुरुषों और महिलाओं के बीच सम्पत्ति का अधिकार बराबर होना चाहिए।	94.90	86.86	65.00
7	महिलाओं का घर के बाहर स्वतंत्र आंदोलन परिवार के लिये शर्म की बात है।	84.69	70.29	15.00
8	लड़कों की ही तरह लड़कियों को भी घर के बाहर वाले खेल खेलने की अनुमति होनी चाहिए।	83.67	68.57	23.00
9	महिलाएं समूदाय में सभी सांस्कृतिक/सामाजिक समारोह में शामिल हो सकती हैं।	88.78	85.14	47.00

प्रतिक्रियाओं की अनुरुपता **:** प्रतिक्रियाओं की अनुरुपता को समझने के लिये, परंपरागत जेण्डर व्यवहार की तरह कहे गये शब्दों की प्रश्नावली के 14 वक्तव्यों से प्राप्त अंक, जो अलग एक अधिक प्रगतिशील तरीके से कहे गये शब्दों में 14 वक्तव्यों से प्राप्त अंकों से तुलना की गयी थी। (कृपया नीचे बॉक्स 1 देखें: दो प्रकार के जेण्डर दृष्टिकोण वक्तव्य के उदाहरण के लिये)। ये देखा गया कि जेण्डर संवेदनशील प्रतिक्रियाओं में परंपरागत रुप से कहे गये शब्दों की प्रतिक्रियाओं की तुलना में प्रगतिशील तरीके से कहे गये शब्दों की प्रतिक्रियायों में उच्च दर था। दो अंको का अंतर लेकर एक अनुरुपता वाले अंक का परिकलन किया गया और पारंपरिक जेण्डर तरीके से वक्तव्यों के लिये प्राप्त समग्र अंक का एक प्रतिशत के रुप में इस अंतर को रखा गया। यह अंको का अंतर समूह 1 में सबसे कम और समूह 3 में सबसे अधिक देखा गया, जो दर्शाता है कि परंपरागत रुप से कहे गये वक्तव्यों की तुलान मे प्रगतिशील तरीके से कहे गये वक्तव्यों पर मैसवा समूह में उच्च स्थिरता या अपनी प्रतिक्रियाओं मे कम भिन्नता थी। इस तुलना के परिणाम नीचे दिये गये हैं (तालिका 4)।

तालिका 4. अलग–अलग तरीके से कहे गये प्रश्नो के लिये प्रतिक्रियाओं की निरन्तरता हेतु 3 उत्तरदाता समूहों के बीच तुलना:

क्रम	**14 वक्तव्यों में औसतन प्राप्तांक**	**जेण्डर संवेदनशील प्रतिक्रियाओं**		
		समूह 1 (न=98)	समूह 2 (न=175)	समूह 3 (न=100)
1	एक पारंपरिक जेण्डर तरीके से कहे गये वक्तव्य	79.22	63.76	33.71
2	एक प्रगतिशील जेण्डर तरीके से कहे गये वक्तव्य	89.21	75.63	58.36
3	भिन्नता (पूर्ण)	9.99	11.88	24.64
4	अनुरुप अंक (100– भिन्नता/पारम्परिक जेण्डर कुल प्रतिशत)	87.39	81.37	26.91

घरेलू कार्य में पुरुषों की भागीदारी

बाक्स 1: पारम्परिक जेण्डर दृष्टिकोण और प्रगतिशील जेण्डर दृष्टिकोण बयानों के कुछ उदाहरण :

परम्परागत रुप से कहे गये वक्तव्य	प्रगतिशील रुप से कहे गये वक्तव्य
प्रमुख पारिवारिक निर्णय को लेन के लिये महिलाएं योग्य नहीं होती हैं।	पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिये समान वेतन मिलना चाहिए।
एक पुरुष के लिये अपनी पत्नि के साथ यौन सम्बन्ध ठीक है, भले ही पत्नि की उसमें स्वीकृति न हो।	पुरुष और महिलाओं के बीच सम्पत्ति का अधिकार बराबर होना चाहिए।
यदि एक औरत किसी पुरुष को धोखा देती है तो पुरुष का उसको मारना ठीक है।	पुरुषों की ही तरह महिलाएं भी जिम्मेदारी वाले कार्य कर सकती हैं।

ये प्रश्नावली घरेलू काम के बारे में पुरुषों के दृष्टिकोण से संबन्धित 4 बयानों का एक संकलन है। तीनों समूहों में इन वक्तव्यों के प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण नीचे तालिका 5 में दी गई है।

तलिका 5. घरेलू कार्य में पुरुषों का व्यवहार और भागीदारी: उत्तरदाताओं के तीन समूहो में से प्रतिक्रियाओं का अनुपात:

घरेलू कार्य के प्रति पुरुषों के व्यवहार से	*जेण्डर संवेदनशील उत्तर*		
एक पुरुष को बच्चों की देखभाल से संबन्धित गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए जैसे– उन्हें खिलाना, स्कूल के लिये तैयार करना आदि।	90.82	77.14	44
एक पुरुष को घरेलू गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए जैसे– खाना बनाने में, कपड़े धोने में, पानी भरने में आदि।	78.57	58.29	18
परिवार के पुरुष सदस्यों को बच्चों को उनकी पढ़ाई में मदद करना चाहिए।	91.84	94.29	94
एक औरत की प्राथमिक भूमिका घर का ध्यान रखना है और सबके लिये खाना बनाना है, वहीं पुरुष की प्राथमिक भूमिका परिवार के लिये कमाना है।	67.35	40.00	6
घरेलू कार्य में पूरुषों की भागीदारी (या तो समान रुप से साझा करना या मुख्य रुप से पुरुष)	***जेण्डर संवेदनशील उत्तर (प्रतिशत में)***		
कपड़े धोना	69.07	45.71	16.00
घर की मरम्मत •	90.72	85.14	92.00
घर/आंगन की सफाई	52.58	36.00	9.00
भोजन तैयार करना	36.08	22.29	2.00
पशुओं की देखभाल •	79.38	72.00	85.00
पानी भरना	80.41	70.86	59.00
घरेलू समान खरीदना •	89.69	87.43	85.00

• ये सभी कम या अधिक तीनों समूहों मे समान हैं।

तीनों चीजों के लिये जहाँ पुरुषों की भागीदारी प्रत्येक समूह में समान देखा गया था, आगे के विश्लेषण इन गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को समझने के लिए किया गया था और यह पाया गया कि इन तीन गतिविधियों के दो में यदि समूह 3 में पुरुषों की भागीदारी उच्च है तो महिलाओं की भागीदारी कम थी। संभावित आंकलन में समूह 1 और 2 समूह 3 से आगे थे, जहां समूह 1 और 2 में समूह 3 की तुलना में संयुक्त जिम्मेदारी की एक बड़ी भावना थी। समूह 3 में भूमिकाओं का अधिक से अधिक ध्रूवीकरण था (घरेलू पशुओं की देखभाल करने के अलावा)।

तालिका 6. महिलाओं की काम में भागीदारी जो पुरुषों की भागीदारी को दर्शाता है, तीनो उत्तरदाता समूहों में एक जैसी थी:

कार्य	*मुख्य रुप से या संयुक्त रुप से इन कार्यों में महिलाओं की भागीदारी (प्रतिशत में)*		
	समूह 1	समूह 2	समूह 3
घरों की मरम्मत	70	67	39
पशुओं की देखभाल	58	71	64
घरेलू समानो की खरीद्दारी	77	71	44

समग्र विश्लेषण इंगित करता है कि पुरुष जो मैसवा से निकटता से जुड़े हुए हैं वे कई घरेलू गतिविधियों जैसे – खाना बनाना, साफ सफाई और कपड़े धोना जो परंपरागत रुप से महिलाओं के कार्य डोमेन हैं, में शामिल हो रहें हैं और उनका नियंत्रण समूह की तुलना में भागीदारी काफी ज्यादा है। दूसरा समूह या जो मैसवा गतिविधियों से प्रभावित हैं वे भी इन गतिविधियों में नियंत्रण समूह से महत्वपूर्ण अंतर दिखा रहें हैं। हालॉकि इस तरह के घरेलू कार्य में वास्तविक भागीदारी, जहां अपेक्षा थी कि घर अंदर के काम भी पुरुषों की भूमिकाओं का हिस्सा होना चाहिए, तुलनात्मक रुप से कम है।

बच्चों की देखभाल के प्रति पुरुषों का व्यवहार व भागीदारी

सर्वेक्षण के अंतरगत 4 सवाल बच्चों की देखभाल में पुरुषों का व्यवहार को समझने हेतु और 4 सवाल बच्चों की देखभाल के कार्यों में उनकी भगीदारी से संबन्धित था। बच्चों के देखभाल के लिये एक व्यक्ति के समग्र दृष्टिकोणों को समझने के क्रम में एक देखभाल अंक विकसित किया गया जिसमें बच्चों की देखभाल के लिये सभी जेण्डर संवेदित उत्तरों को 1 अंक दिया गया और बच्चों की देखभाल के कार्य के सभी मामलों में जहाँ पुरुषों ने कहा कि समान रुप से काम को बांटा गया था या पुरुषों द्वारा मुख्य रुप से किया गया को 1 अंक दिया गया। दोनो देखभाल के अंको को संकलित किया गया। इस देखभाल पर अधिकतम अंक 8 और न्यूनतम अंक 0 था। फिर इन प्राप्तांकों को उच्च समता (High Equity), कुछ समता (Moderate Equity) और निम्न समता (Low Equity) के रुप में प्रदर्शित करने के लिये जोड़ा गया, जो क्रमशः 7 से 8, 4 से 6 और 0 से 3 के बीच आते थे। नीचे दिया गया चार्ट–1 बच्चों की देखभाल के लिये तीनों समूहों के बीच उनके जेण्डर समान दृष्टिकोण को दिखाता है।

चार्ट 1. बच्चों की देखभाल के लिये जेण्डर न्यायोचित तरीका पर तीनो समूहो में तुलना

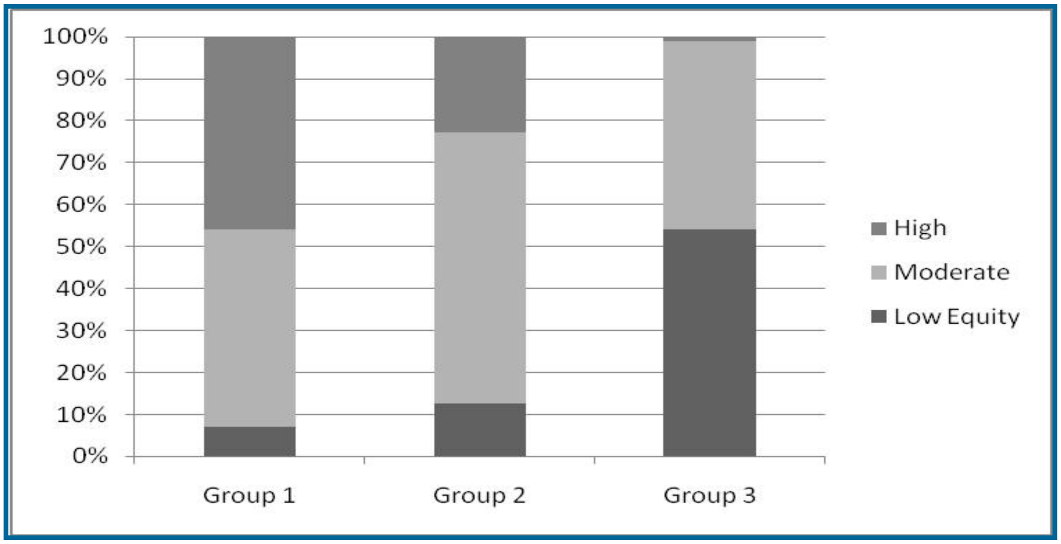

ग्राफ स्पष्ट रुप से इंगित करता है कि तीसरे समूह और दो अन्य समूहों के बीच बड़ा अंतर है। नीचे तालिका–7, अध्ययन में इस्तेमाल किये गये बच्चों की देखभाल और कार्य से संबन्धित वक्तव्यों को इंगित करता है।

तालिका 7. बच्चों की देखभाल से जुड़े कार्य से संबन्धित कथन और बच्चों की देखभाल से संबन्धित कथन।

बच्चों की देखभाल से जुड़े कार्य	**बच्चों की देखभाल से संबन्धित कथन**
• टीकाकरण के लिये बच्चों के साथ जाना। • बच्चे जब बीमार हों, उनके साथ घर पर रहना/रात में जागना। • स्कूल या अन्य जगह जाने के लिये बच्चों को तैयार करना। • बच्चों को खाना खिलाना।	• बच्चों के लिये माता–पिता द्वारा पीटा जाना हमेशा सही है। • लड़कों की ही तरह लड़कियों को भी घर के बाहर वाले खेल खेलने की अनुमति होनी चाहिए। • एक पुरुष को बच्चों की देखभाल से संबन्धित गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए जैसे– उन्हें खिलाना, स्कूल के लिये तैयार करना आदि। • परिवार के पुरुष सदस्यों को बच्चों को उनकी पढ़ाई में मदद करना चाहिए।

महिलाओं के साथ रिश्ते

इस डोमेन में दो उप–डोमेन शामिल हैं– पति–पत्नि के रिश्तों के प्रति व्यवहार और निर्णय लेने में भागीदारी।

पति–पत्नि के रिश्तों के प्रति व्यवहार : इसमें पति–पत्नी संबंधों के विभिन्न पहलुओं से संबन्धित 8 प्रश्नो की प्रश्नावली रखी गयी है। सभी जेण्डर संवेदित उत्तर पर एक अंक दिये गये तथा सभी प्रश्नों के समक्ष मिले अंकों को जोड़ते हुए एक भागीदारी अंक निकाला गया। प्रत्येक व्यक्ति से मिले उत्तर में पत्नी के साथ सम्बन्ध को ''उच्च समता मूलक'' ''कुछ समता मूलक'' और ''निम्न समता मूलक'' के रूप में वर्गीकृत किया गया। यह वर्गीकरण क्रमशः 7 से 8, 4 से 6 और 0 से 3 अंक पर आधारित था। अपनी पत्नि के साथ उनके रिश्तों में समानता को तीनो समूहों के बीच के अंतर को नीचे के ग्राफ में देखा जा सकता है।

चार्ट 2. पति–पत्नि संबन्धों के प्रति उत्तरदाताओं का व्यवहारः

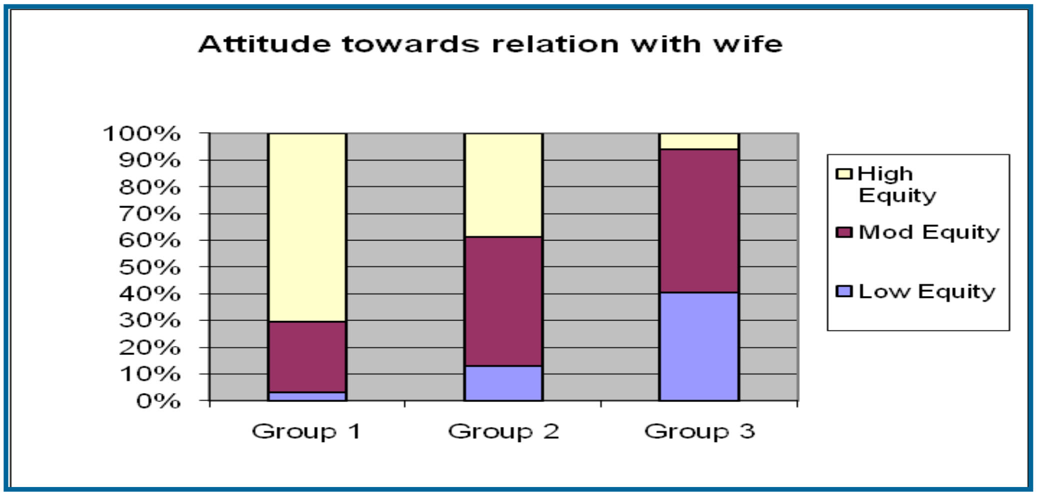

इस ग्राफ से स्पष्ट है कि पति–पत्नि सम्बन्धों में समूह 1 के उत्तरदाताओं का, समूह 3 के उत्तरदाताओं की तुलना में ज्यादा जेण्डर समानता आधारित व्यवहार है।

बॉक्स–2: पति पत्नि के बीच सम्बन्ध से सम्बन्धित कथन

1. औरत की मुख्य भूमिका घर का ध्यान रखना है और परिवार के लिए खाना बनाना है, जबकि पुरुष की मुख्य भूमिका परिवार के लिये कमाना है।

2. यदि आदमी अपनी पत्नि से कम कमाता है तो यह शर्म/समस्या की बात है।

3. महिलाओं को हमेशा पुरुषों के निर्णय का पालन करना चाहिए क्योंकि पुरुष रोटी कमाने वाला है।

4. पुरुष के लिये अपनी पत्नि के साथ यौन सम्बन्ध बनाना सही है, चाहे उसमें पत्नि की स्वीकृति हो या न हो।

5. पति को हमेशा अपनी पत्नि के साथ अपनी समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए।

6. पति और पत्नि को साथ मिलकर तय करना चाहिए कि वे कब और कितने बच्चे चाहते हैं।

7. पुरुष और औरत को साथ मिलकर तय करना चाहिये कि वे कब और किस प्रकार का गर्भ निरोधक इस्तेमाल करना चाहते हैं।

8. यह पत्नि की जिम्मेदारी है कि वो गर्भनिरोधक का प्रयोग करे क्योंकि वो ही गर्भवती होती है।

निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी : अध्ययन के अलग–अलग डोमेन में यह समझने का प्रयास किया गया है कि पुरुष किस हद तक निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराते हैं। इस उप–डोमेन के परिणाम नीचे तालिका 8 में दिये गये हैं।

तालिका 8. अलग–अलग डोमेन में निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी पर सभी 3 समूहों से जवाब:

निर्णय लेने वाले डोमेन	***तीनो समूहों में उत्तरदाताओं का अनुपात जिन्होंने कहा कि निर्णय लेने में महिलाएं शामिल थीं***		
	समूह 1 (न=98)	समूह 2 (न=175)	समूह 3 (न=100)
भोजन व कपड़ों पर पैसे खर्च करना	79.6	58.9	37.0
बड़े निवेश जैसे–घर के सामान/उपकरण खरीदने पर पैसे खर्च करना	66.3	50.9	33.0
महिलाओं के स्वास्थ्य के संबन्ध में	67.3	58.9	47.0
बच्चों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में	81.6	64.0	54.0
कर्ज लेने में	54.1	36.6	20.0
परिवार के किसी सदस्य की शादी पर होने वाले खर्च में	75.5	60.6	27.0

तालिका दिखाती है कि समूह 1 के पुरुष सभी डोमेन में ज्यादा सजग हैं तथा उनमें तथा उनके घरों में महिलाओं की अकेले या संयुक्त रुप से निर्णय लेने में अत्यधिक भागीदारी है। महिलाओं की आर्थिक निर्णयों में भागीदारी जैसे– निवेश और परिवार की शादी में पैसे खर्च करना समूह 1 के दो तीहाई से अधिक पुरुषों का मुद्दा बन पाया था। जहाँ कर्ज लेने से सम्बन्धित फैसले का सम्बन्ध था उसमें भागीदारी कम थी। समूह 3 में इसके विपरीत निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका कम थी, और बच्चों के स्वास्थ्य से संबन्धित निर्णयों के मामलों को छोड़कर 50 प्रतिशत से कम उत्तरदाता महिलाओं की सलाह अथवा राय लेने के महत्व पर विचार नहीं करते। पूर्व के डोमने के तरह ही जाँच के इस डोमेन में भी समूह 2 के उत्तरदाताओं की स्थिति, समूह 1 और समूह 3 के उत्तरदाताओं के बीच की है।

महिलाओं और बच्चों के संरक्षण के लिये बने कानून का ज्ञान

अध्ययन के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों की संरक्षण के लिये बने 5 कानून के विषय में पुरुषों से उनके ज्ञान के बारे में पूछा गया। इसमें 80 साल पुराना बाल विवाह के विरुद्ध कानून से लेकर घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं का संरक्षण कानून जो हाल में ही बना है, शामिल है। अध्ययन से पता चलता है कि दहेज पर रोक लगाने के कानून की जानकारी तीनो समूहों में समान रुप से अधिक थी। इन पांच कानूनों की जानकारी समूह 1 के पुरुषों में 85 से 97 प्रतिशत के बीच थी और समूह 2 के पुरुषों में जानकारी बहुत कम भी नहीं थी। हालांकि समूह 3 से 50 प्रतिशत से कम पुरुषों को घरेलू हिंसा के कानून या महिलाओं को विरासत में मिली सम्पत्ति का अधिकार के विषय में जानकारी थी।

चार्ट 3. महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा कानूनों का ज्ञानः तीनो समूहों की प्रतिक्रियाएं

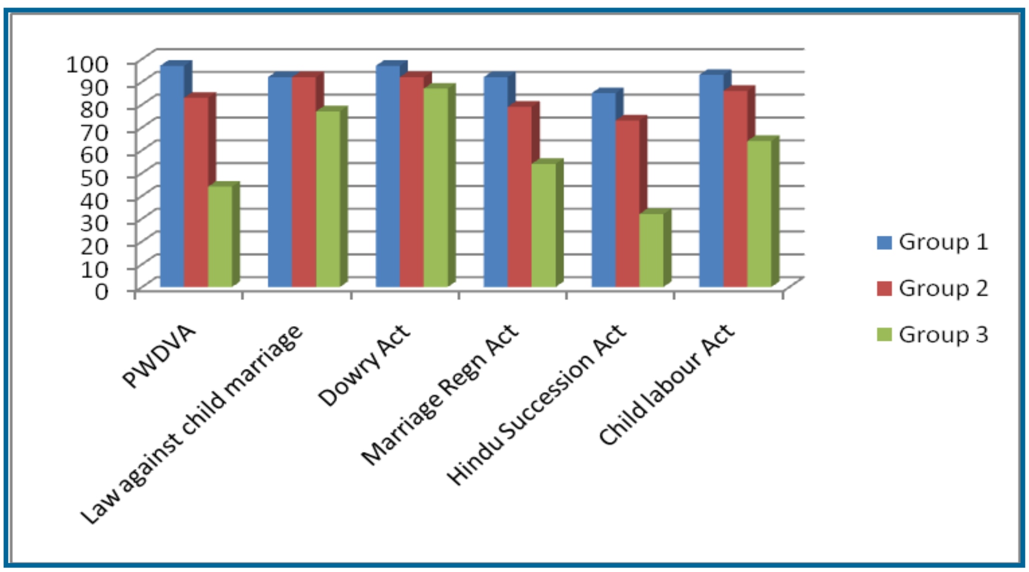

जेण्डर समानता के दृष्टिकोण से यौनिकता और मर्दानगी के प्रति व्यवहार

अंतिम डोमेन में पुरुषों का यौनिकता और मर्दानगी के प्रति व्यवहार का विश्लेषण जेण्डर संवेदित मानव अधिकार दृष्टिकोण से किया गया है। इसके परिणाम नीचे तालिका 9 में दिये गये हैं।

तालिका 9. जेण्डर समानता के दृष्टिकोण से यौनिकता के प्रति व्यवहार पर तीनों समूहों के उत्तरदाताओं से जवाब:

यौनिकता से संबन्धित कथन	***यौनिकता के संबन्ध में जेण्डर संवेदित जवाबों का अनुपात***		
	समूह 1 (न=98)	समूह 2 (न=175)	समूह 3 (न=100)
1. जब कोई पुरुष एक महिला को गर्भवति करता है तो बच्चे की जिम्मेदारी महिला की होती है।	93.88	70.86	51.00
2. यदि कोई औरत किसी पुरुष को धोखा देती है तो	81.63	70.29	23.00
3. कभी कभी महिला बलात्कार के लिये स्वयं जिम्मेदार होती है।	61.22	40.57	17.00
4. महिलाओं की तुलना में पुरुषों के अंदर ज्यादा यौनिक इच्छा होती है	62.24	48.00	60.00
5. शादी के पहले केवल पुरुष ही यौनिक क्रिया कर	89.80	72.00	58.00
6. समलैंगिक संबन्ध कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाना	45.92	29.71	13.00
7. पुरुष के लिये अपनी पत्नि के साथ यौन सम्बन्ध बनाना	87.76	73.14	57.00
8. जो महिलाएं आधुनिक कपड़े पहनतीं हैं वो चरित्रहीन होतीं हैं।	86.73	75.43	30.00
9. मुझे शर्मिंदगी होगी यदि मेरा पुत्र समलैगिंक होगा।	36.73	34.86	10.00
10. महिलाएं जो कॉडोम लेकर चलती हैं वो कामुक होती हैं।	75.51	64.00	26.00
11. यौन इच्छा स्वाभाविक है और इसमें किसी को शर्मिन्दा नहीं होना चाहिए।	79.59	74.29	70.00

समूह 1 और समूह 3 के बीच समग्र अंतर अन्य डोमेन जैसे ही समान है। परन्तु दो सवाल जो समलैंगिकता से संबन्धित थे समूह 1 के पुरुषों में सबसे कम प्राप्तांक रहा।

तालिका 10. जेण्डर समानता के दृष्टिकोण से मर्दानगी के प्रति व्यवहार पर तीनों समूहों के उत्तरदाताओं के जवाब :

मर्दानगी से संबन्धित कथन	***मर्दानगी के संबन्ध में जेण्डर संवेदित जवाबों का अनुपात***		
	समूह 1 (न=98)	समूह 2 (न=175)	समूह 3 (न=100)
पुरुष बनने के लिये मजबूत बनना जरुरी है	31.63	19.43	1.00
परिवार के निर्णयों में पुरुष का अंतिम शब्द होना चाहिए	92.86	68.00	24.00
यदि एक आदमी अपनी पत्नि/साथी से कम कमाता है तो यह शर्म/समस्या की बात है	84.69	67.43	24.00
जब मै एक पुरुष को एक महिला की तरह व्यवहार करते हुये देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है	63.27	46.29	18.00
महिलाओं को हमेशा पुरुषों के निर्णय का पालन	88.78	54.29	25.00
यदि कोई मेरा अपमान करता है तो मैं अपने सम्मान की रक्षा करुँगा भले ही हिंसा का प्रयोग करना पड़े	59.18	41.14	10.00
यदि कोई औरत किसी पुरुष को धोखा देती है	81.63	70.29	23.00
महिलाओं की तुलना में पुरुषों के अंदर ज्यादा यौनिक इच्छा होती है	62.24	48.00	60.00
शादी के पहले केवल पुरुष ही यौनिक क्रिया	89.80	72.00	58.00
कोई फर्क नहीं पड़ता की मै क्या सोचता हूँ, यदि मेरे दोस्त लड़ाई कर रहे है तो मुझे उनका साथ देना होगा	72.45	48.57	30.00

उक्त कथनों में एक कथन (पुरुष बनने के लिये मजबूत बनना जरुरी है) समूह 1 पुरुषों का सबसे कम जेण्डर संवेदित उत्तर रहा, परन्तु उसी बयान के लिये दो अन्य समूहों से प्राप्त जेण्डर संवेदनशील जबावों का अनुपात भी बहुत कम है। मर्दानगी वाले सभी जेण्डर संवेदित जबावों को अंकों में बदलकर 1 अंक दिया गया। इसके बाद संचयी अंक को तीनों समूहों में विभाजित किया गया – ''उच्च समता मूलक'' ''कुछ समता मूलक'' और ''निम्न समता मूलक'' इसपर निर्भर करते हुये कि क्या वो क्रमशः 8–10, 4–7 और 0–3 के बीच थे। तीनों समूहों के परिणाम की तुलना नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है (चार्ट–4).

चार्ट 4. मर्दानगी के मुद्दों के प्रति उत्तरदाताओं का व्यवहार

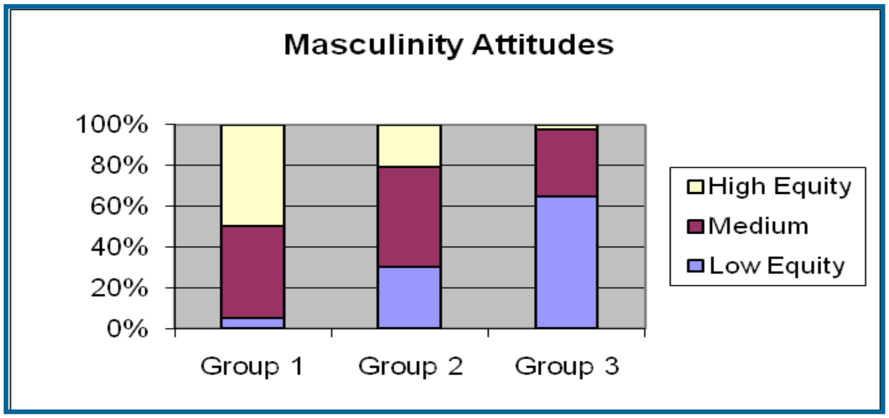

निष्कर्ष, चर्चा और सुझाव

तीनों समूहों के उत्तरदाताओं में उभरते अंतर जो देखने को मिले

सभी डोमेन को समान रुप से कम, मध्यम और उच्च जेण्डर समानता के लिए 1, 2 और 3 अंक देकर एक समग्र जेण्डर समानता आधारित व्यवहार अंक बनाया गया और सभी सात डोमेन में अंको को जोड़ा गया। इस प्रकार प्राप्त अधिकतम अंक 21 था। इस प्रकार संचयी अंक 12 तक को निम्न समानता आधारित, 13 से 17 को मध्यम समानता आधारित, और 18 से 21 तक को उच्च जेण्डर समानता आधारित माना गया। कुल 43 प्रतिशत समूह 1 के उत्तरदाता अपने रवैये में उच्च समानता आधारित थे जबकि समूह 3 से किसी को उच्च समानता आधारित नहीं माना जा सकता है। समूह 1 में 98 व्यक्तियों के बीच में से 6 व्यक्ति सभी सात डोमेन में उच्च समानता आधारित थे और समूह 2 से भी एक व्यक्ति ने अधिकतम अंक प्राप्त किया। समूह 1 में केवल 7 प्रतिशत पुरुष निम्न समानता की श्रेणी में थे जबकि समूह 3 के 86 प्रतिशत इस श्रेणी में थे। समूह 1 के 93 प्रतिशत उच्च और मध्यम समानता आधारित श्रेणी में थे और समूह 2 के लगभग 62 प्रतिशत उच्च और मध्यम जेण्डर समानता आधारित श्रेणी में थे, जैसा कि नीचे चार्ट 6 मे देखा जा सकता है।

चार्ट 5. तीनों समूहों में उच्च, मध्यम और निम्न समग्र जेण्डर समानता व्यवहार अंक के साथ उत्तरदाताओं का अनुपात:

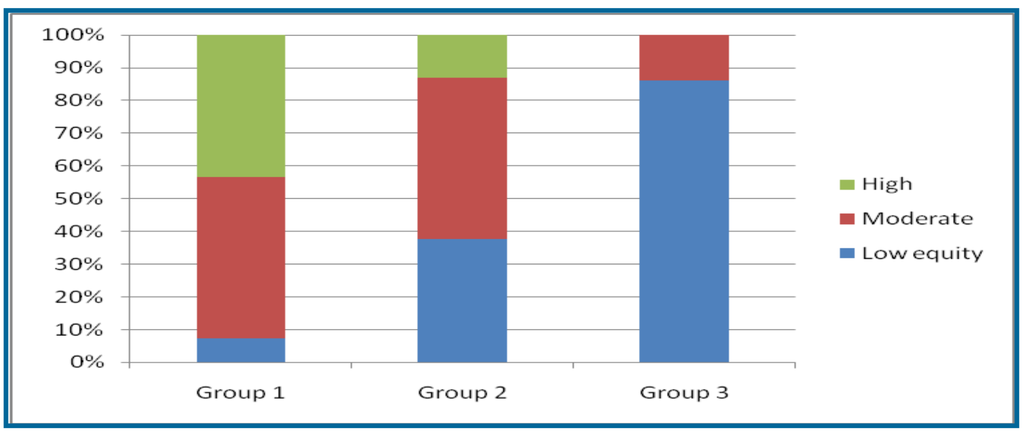

इन परिणामों से स्पष्ट रुप से पता चलता है कि समूह 1 मैसवा कार्यकर्ता लगातार समूह 2 की तुलना में अधिक जेण्डर समानता आधारित जवाब दिये हैं, और समूह 2 नियंत्रण समूह (समूह 3) की तुलना में अधिक जेण्डर समानता अधारित जवाब दिये हैं।

समूहों की पृष्ठभूमि का विश्लेषण करते समय शैच्छिक स्तर को एक महत्वपूर्ण गड़बड़ी पैदा करने वाले कारक के रुप मे देखा गया था। मैसवा हस्तक्षेप के प्रभाव को समझने के क्रम में शिक्षा के प्रभाव को नियंत्रित किया गया ताकि व्यक्तिगत प्रभाव को समझा जा सके। इसमें विश्लेषण को सीमित करके केवल उनके साथ विश्लेषण किया गया जिनकी शिक्षा 10 साल से अधिक की थी और फिर तीनों समूहों के बीच परिणामों की तुलना की गई। इस विश्लेषण के लिये 15 से अधिक (21 में से) के एक समग्र जेण्डर अंक को एक अनुकूल परिणाम के रुप में माना गया और संभावना अनुपात (Odd Ratio -OR) को विभिन्न समूहों की तुलना हेतु गणना की गई। समूह 1 (मैसवा कार्यकर्ता) को समूह 3 (नियंत्रण समूह) के साथ तुलना की गई, समूह 2 (मैसवा प्रभावित) को समूह 3 के साथ तुलना की गई और समूह 1 की समूह 2 के साथ तुलना की गई। संभावना अनुपात (Odd Ratio -OR) प्राप्ती इस प्रकार से है–

3 के सम्मुख समूह 1: OR - 31.76 (CI - 4.17 to 664.20)
3 के सम्मुख समूह 2: OR – 12.75 (CI - 1.72 to 264.02)
2 के सम्मुख समूह 1: OR 2.49 (CI - 1.35 to 4.60)

संभावना अनुपात दिखाता है कि समूहों के बीच अंतर, सांख्यिकीय रुप में महत्वपूर्ण तरीके से तब भी कायम हैं जब शिक्षा के प्रभाव को हटा दिया गया है।

विभिन्न डोमेन में तीनों समूहों के बीच अंतर को समझने के क्रम में प्रत्येक तीनों समूहों में व्यक्तियों की (उच्च) समता वितरण की तुलना की गयी। इसके परिणाम नीचे रेखाचित्र मे प्रदर्शित हैं।

चार्ट 6. तीनो समूहों में उच्च समता वाले उत्तरदाताओं के वितरण की तुलना

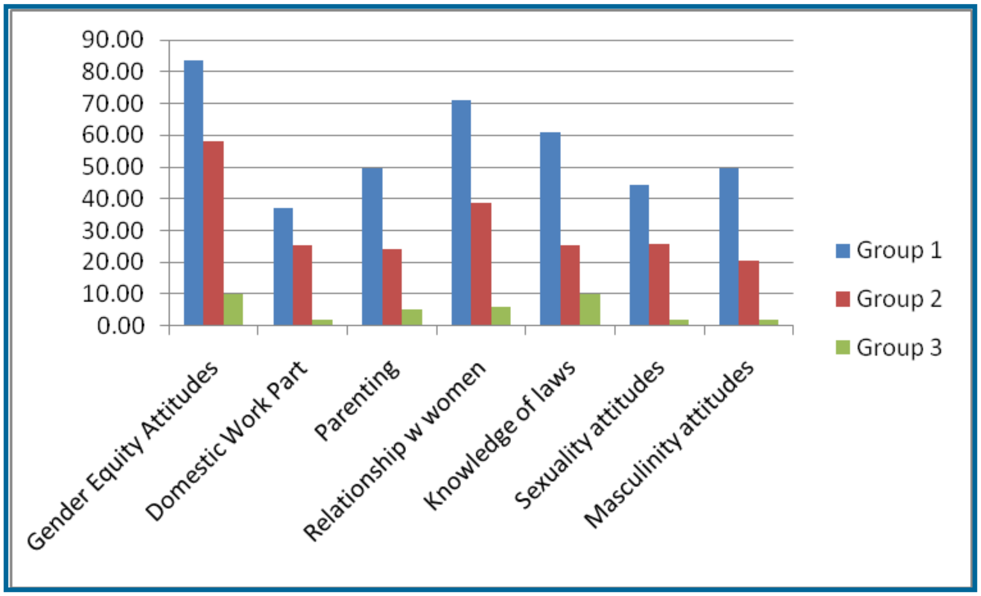

इस ग्राफ से पता चलता है कि सातों डोमेन में समूह 3 (नियंत्रण समूह) के 10 प्रतिशत से कम पुरुषों ने उच्च जेण्डर समानता नजरिया दिखाया है, जबकि समूह 1 में लगभग 85 प्रतिशत पुरुषों में जेण्डर समानता के मामले में उच्च जेण्डर समानता रवैया, पति पत्नि के रिश्तों के प्रति दृष्टिकोण में 71 प्रतिशत पुरुषों में और बच्चों की देखभाल के मामले में 49 प्रतिशत पुरुषों में जेण्डर समानता पाया गया। घरेलू कार्य में भागीदारी और यौनिकता के मामले में उसी समूह में उच्च जेण्डर समानता रवैया के साथ पुरुषों का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम था। हालांकि इन डोमेन के लिए भी समूह 1 और समूह 3 में उच्च जेण्डर समानता रवैये के साथ पुरुषों के बीच अंतर 18 से 22 गुना के बीच था (37 प्रतिशतः घरेलू काम में भागीदारी के मामले में 2 प्रतिशत, और 44 प्रतिशतः यौनिकता के लिये 2 प्रतिशत)।

मैसवा कार्यकर्ता और गतिविधियाँ अन्य जो पुरुषों को प्रभावित कर रहें हैं

पुरुष जो समूह 2 से संबन्ध रखते हैं, मैसवा कोर समूह द्वारा चर्चाओं, प्रशिक्षणों, अभियान और कुछ मामलों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर केसवर्क आदि के माध्यम से प्रभावित हुए हैं। वे नियंत्रण समूह (समूह 3) के पुरुषों की तुलना में जो उत्तर प्रदेश के एक जिले से लिये गये थे तथा जहाँ मैसवा कार्य नहीं करता है, कहीं अधिक जेण्डर संवेदनशील पाये गये।

और ये प्रवृत्ति सभी डोमेन में सही साबित हुई। ये अंतर क्या सांख्यिकीय रुप से महत्वपूर्ण थे, को समझने के लिये समूह 1 और समूह 2, समूह 2 और समूह 3 के बीच उच्च समानता के लिये सम्भावना अनुपात (ओ.आर.) की गणना की गई। नीचे तालिका 11 दिखाता है कि समूह 1 और समूह 2 के उत्तरदाताओं के बीच अंतर और समूह 2 व समूह 3 के उत्तरदाताओं के बीच अन्तर सभी डोमेन में सांख्यिकीय रुप से महत्वपूर्ण थे। दिलचस्प रुप से समूह 2 और 3 के बीच अंतर के लिये सम्भावना अनुपात की तुलना से समूह 1 और 2 के बीच अंतर के लिये सम्भावना अनुपात छोटा था जो सभी डोमेन में अंतर का संकेत करता है कि जेण्डर पर समझ, मैसवा कार्यकर्ता और मैसवा प्रभावित से, मैसवा प्रभावित और नियंत्रण समूह के बीच तुलनात्मक रुप से अधिक था।

तालिका 11. तीनों समूहों के सभी डोमेन में सम्भावना अनुपात सांख्यिकीय रुप से प्रदर्शित हो रहें हैं– समूह 1 और समूह 2, समूह 2 और समूह 3 के बीच महत्वपूर्ण अंतर है:

डोमेन	समूह 1 और समूह 2	समूह 2 और समूह 3
जेण्डर समानता आधारित रवैया	3.62 (CI 1.97 -9.57)	12.57 (CI 6.19 - 25.5)
घरेलू काम में भागीदारी	1.76 (CI 1.03 - 2.99)	15.47 (CI 4.03 - 59.12)
बच्चों की देखभाल	3.1 (CI 1.83 - 5.25)	6 (CI 2.36 - 15.23)
महिला के साथ संबन्ध	3.89 (CI 2.8 - 6.6)	9.66 (CI 4.22 - 23.41)
कानून की जानकारी	4.62 (CI 2.72 - 7.85)	3.02 (CI 1.46 - 6.24)
यौनिकता पर रवैया	2.30 (CI 1.36 - 3.88)	16.96 (CI 4.43 - 64.71)
मर्दानगी पर रवैया	3.78 (CI 2.2 - 6.5)	12.69 (CI 3.29 - 48.68)

नोटः पी<0.05 पर सभी परिणाम महत्वपूर्ण हैं।

ये परिणाम स्पष्ट रुप से इंगित कर रहें हैं कि अध्ययन के अंतर्गत जितने डोमेन लिये गये हैं, जेण्डर समता के सन्दर्भ में मैसवा कार्यकर्ता दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम हैं। आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि मैसवा समूह और मैसवा प्रभावित समूह जेण्डर मुद्‌दों पर उनकी समझ के मामले में बहुत अलग हैं। हम ये भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो विश्वास ये पुरुष व्यक्त कर रहें हैं उन्हें अपने रिश्तों में वे प्रयोग कर रहें हैं कि नहीं ये जानना असम्भव है। यह भी हो सकता है कि मैसवा कार्यकर्ता और उनके साथी जेण्डर संवेदित और राजनैतिक रुप से सही बयानों से परिचित हों। तो भी यदि वे केवल ये बता रहें हैं कि जो वे जानते हैं सही उत्तर है, ये महत्वपूर्ण है कि वे विभिन्न डोमेन में शामिल किये गये विभिन्न प्रश्नों पर दृढ़ रहे हैं। पुरुष और महिलाओं के बारे में किसी को कैसे व्यवहार करना चाहिए पर उनकी समझ या कम से कम अधिकारगत उत्तर के बारे में उनकी समझ मैसवा के साथ जिन पुरुषों का जुड़ाव नहीं था से काफी अलग है। विचार का बदलाव अक्सर बदलते व्यवहार के लिये पहला कदम होता है; इसलिए यह अपने आप में हस्तक्षेप के लिये प्रोत्साहन स्वरुप माना जा सकता है।

मैसवा गतिविधियों में भागीदारी : अध्ययन ने उत्तरदाताओं की विभिन्न मैसवा प्रायोजित गतिविधियों में भागीदारी के बारे में भी उजागर किया है। दिलचस्प रुप से यह उभर कर आया है कि मैसवा कार्यकर्ताओं में भी आठ कार्यकर्ता ऐसे थे जो किसी भी चार विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे– बैठक, प्रशिक्षण, अभियान व केस वर्क में प्रतिभाग नहीं किये थे, परन्तु 85 लोग ऐसे थे जिन्होंने दो या दो से अधिक गतिविधियों में प्रतिभाग किया था। समूह 2 अथवा मैसवा से प्रभावित के लिये बहुमत से अथवा 65 प्रतिशत लोगों ने कम से कम एक गतिविधि में प्रतिभाग किया था। चार्ट 7 में दिया गया ग्राफ दिखाता है कि जिन्होंने मैसवा गतिविधियों में प्रतिभाग किया था सबसे आम भागीदारी बैठकों और अभियानों में थी। आश्चर्य नहीं है कि समूह 1 के पुरुषों की बहुत बड़ी संख्या प्रशिक्षणों में प्रतिभाग किये अथवा केस वर्क में शामिल हुये पुरुषों में थी।

चार्ट 7. ज्यादातर मैसवा कार्यकर्ता जो समूह 1 और समूह 2 के उत्तरदाता थे ने प्रतिभाग किया।:

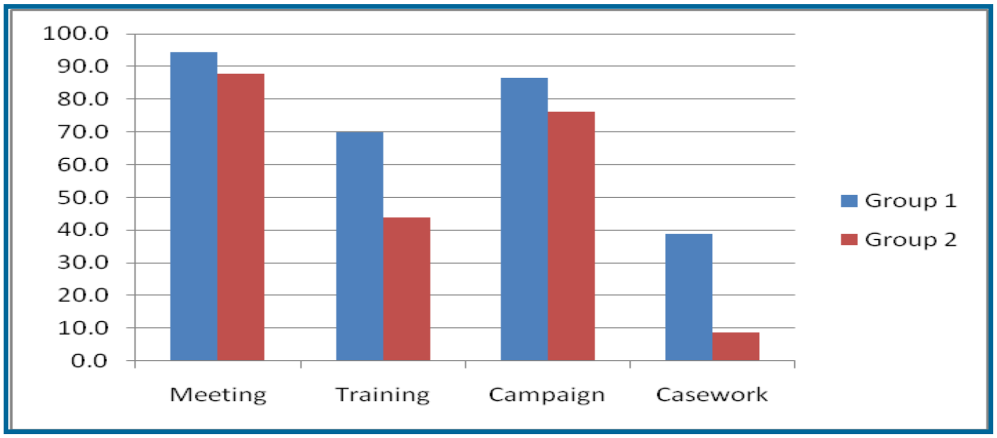

मैसवा गतिविधियों में भागीदारी को समझने के लिये एक व्यक्ति ने कितनी बार किसी गतिविधि में प्रतिभाग किया है से गुणा करके एक पैमाना बनाया गया था। प्रत्येक गतिविधि के लिये 1 अंक दिया गया, और एक बार प्रतिभाग करने के लिये 1 अंक दिया गया, 2 से 4 बार प्रतिभाग करने के लिये 2 अंक और किसी विशेष गतिविधि में चार से अधिक बार प्रतिभाग करने के लिये 3 अंक दिया गया। मैसवा कार्यकर्ताओं के लिये औसत भागीदारी अंक 8 से थोड़ा अधिक था जबकि समूह 2 से या जो प्रभावित थे केवल 3 अंक से थोड़ा अधिक था।

दिलचस्प बात यह है कि लगभग 35 प्रतिशत उनमें से जिन्हें हम मैसवा प्रभावित अथवा समूह 2 कह रहें हैं, किसी भी मैसवा की गतिविधियों में प्रतिभाग नहीं किया। जो समूह 2 के हिस्सा थे परन्तु किसी भी मैसवा की गतिविधि में प्रतिभाग नहीं किया था के अंक को सूमह 3 से तुलना की गई यह समझने के लिये क्या मैसवा का प्रभाव पर्यावरणीय है या केवल उन लोगों के लिये विशिष्ट है जिन्होंने मैसवा की गतिविधियों में प्रतिभाग किया है। परिणाम दिखाता है कि सभी डोमेन में समूह 2 के वे सभी लोग जिन्होंने किसी भी गतिविधि में प्रतिभाग नहीं किया था के अंक, नियंत्रण समूह की तुलना में अधिक हैं। समग्र जेण्डर समानता रवैये प्राप्तांक के साथ जब दो समूहों की तुलना की गई तो यह पाया गया कि समूह 3 के व्यक्तियों के लिए सम्भावना अनुपात समूह 2 के व्यक्ति जो किसी भी मैसवा की गतिविधि में प्रतिभाग नहीं किया था कि तुलना में निम्न समानता रवैया प्राप्तांक 6.14 गुना (CI 2.9 – 13 at p 0.05) अधिक था। जाहिर है कि जहाँ मैसवा की गतिविधियाँ क्रियान्वित किये जा रहे थे वहाँ मैसवा का प्रभाव था और ये मात्र मैसवा गतिविधियों में भागीदारी से परे चला गया जो इस बात को संकेत करता है कि शायद समग्र सामाजिक मानकों/उम्मीदों में बदलाव सम्भव है।

चार्ट 8. समूह 2 और समूह 3 के उत्तरदाताओं के बीच जेण्डर समानता जवाबों की तुलना:

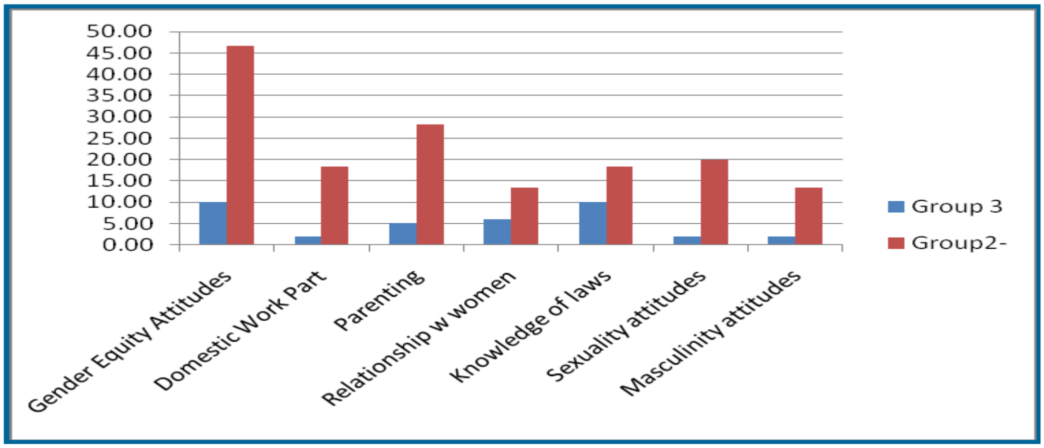

अच्छी शुरुआत है परन्तु अभी आधा ही हुआ है: क्षेत्र जिन्हें और मजबूत करने की जरुरत है:

मैसवा कार्यकर्ताओं के लिये ये जानना ही काफी नहीं है कि सभी डोमेन में उनके जेण्डर संबन्धित ज्ञान व व्यवहार नियंत्रण समूह से कहीं अधिक है, बल्कि वे पुरुष जिनके साथ वे काम कर रहें हैं में भी जेण्डर व अधिकारगत नजरिया व जानकारी है। इसे चिन्ता का विषय के रुप में देखा जा सकता है कि केवल 43 प्रतिशत मैसवा कार्यकर्ताओं में समग्र विश्लेषण के तहत उच्च जेण्डर समता पाया गया। यह अध्ययन डोमेन के उन भागों को भी इंगित करता है जहाँ भविष्य में बदलाव के लिये कुछ गुंजाइश है, भले ही परिवर्तन शुरु हो चुका हो। जाहिर है अध्ययन में पुरुषों के व्यवहार व कार्य के अन्वेषण में सीमाएं हैं। कार्य से संबन्धित दो डोमेन – घरेलू कार्य व बच्चों की देखभाल में मैसवा कार्यकर्ता दो अन्य समूहों की तुलना में घरेलू गतिविधियों में ज्यादा शामिल थे। हालांकि, जब हम घरेलू काम की भागीदारी के डोमेन के लिए प्राप्तांको को देखते हैं, 40 प्रतिशत से कम मैसवा कार्यकर्ता उच्च समतामूलक थे, और अपने बच्चों की देखभाल संबन्धित व्यवहार के संबन्ध में 50 प्रतिशत से कम उच्च जेण्डर समतामूलक. थे। इसी प्रकार से यौनिकता से संबन्धित डोमेन के लिये उच्च समता प्राप्तांक समूह के लोगों में से 45 प्रतिशत से कम लोगों ने प्राप्त किया और मर्दानगी से संबन्धित समूह के लोगों में से 50 प्रतिशत से थोड़ा कम लोगों ने प्राप्त किया। कुछ वक्तव्य जो मैसवा कार्यकर्ताओं के लिये भविष्यगत चर्चा और प्रशिक्षण की आव यकता को इंगित करता है, जो तालिका 12 में नीचे दिया गया है–

वक्तव्य और कार्य जहाँ जेण्डर संवेदित जवाब कम थे	जेण्डर संवेदित जवाब (प्रतिशत में)
एक पुरुष बनने के लिये मजबूत बनना जरुरी है	31.63
खाना बनाने में सहभागिता	36.08
मुझे शर्मिंदगी होगी यदि मेरा पुत्र समलैगिंक होगा	36.73
समलैगिंक संबन्ध कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।	45.92
यदि कोई मेरा अपमान करता है तो मै अपने सम्मान की रक्षा करुँगा भले ही हिंसा का प्रयोग करना पड़े।	59.18
कभी कभी महिला बलात्कार के लिये स्वयं जिम्मेदार होती है।	61.22
औरत की मुख्य भूमिका घर का ध्यान रखना और परिवार के लिए खाना बनाना है, वहीं पुरुष की मुख्य भूमिका परिवार के लिए कमाना है।	67.35

उपरोक्त कथनसे उभरती प्रतिक्रियायें इंगित कर रही है कि समलैंगिकता एक चिंता का विषय है। दूसरा दिलचस्प नक्शा उभर कर आता है जो मर्दानगी से संबन्धित है वो यह कि, वक्तव्य जो महिलाओं के ऊपर मर्दानगी से जुड़ता है, बहुत अधिक समतामूलक प्रतिक्रिया को दर्शाता है, तुलनात्मक रुप से उन पुरुषों से जो की अपनी धाराणाओं से जुझते हैं कि पुरुष होने का मतलब क्या है (मजबूत बनना, सम्मान की सोच आदि)। ये आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि मर्दानगी के ईर्द–गीर्द मैसवा कार्यकर्ताओं की अपनी समझ व कार्य बहुत नया है और अभी भी विकसित हो रहा है तुलनात्मक रुप से उनके कार्य से जो संबन्ध रखते है (विशेष रुप से महिलाओं के सम्दर्भ में)।

कमियाँ अथवा वे क्षेत्र जिनका प्र्याप्त रुप से पता नहीं लगाया जा सका

इस अध्ययन को तीन विभिन्न समूहों के पुरुषों में भिन्नता को समझने के लिये सीमित किया गया था। वे जो मैसवा गतिविधियों से अपनी नेतृत्व की भूमिका में रहते हुये करीब से जुड़े थे, वे जो मैसवा की सार्वजनिक गतिविधियों में प्रतिभागियों के रुप में जुड़े थे और वे जिन्हें मैसवा के विषय में कोई ज्ञान नहीं था।

प्रश्नावली के अन्तर्गत प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर यह समझने का प्रयास किया गया कि मैसवा, मुख्य कार्यकर्ताओं में जेण्डर समानता और महिलाओं के अधिकारों पर समझ साथ ही सार्वजनिक गतिविधियों में स्वयं से पहल कर बदलाव लाने में सक्षम हो सकता है। इस अध्ययन के परिणाम उत्साहजनक रहे हैं, हालांकि भविष्य के हस्तक्षेपों में अधिक विस्तार में विश्लेषण के माध्यम से इसे प्रमाणित किया जाना आवश्यक हो सकता है। डोमेन के त्वरित जाँच से पता चलता है कि कुछ क्षेत्रों में यह अध्ययन कोई भी जानकारी देने में सक्षम नहीं है। ऐसा ही एक डोमेन वास्तविक हिंसा और जेण्डर आधारित भेदभावपूर्ण व्यवहार से संबन्धित है। एक अन्य डोमेन जो अक्सर हिंसा से संबन्धित रहता है और जिसके बारे में कुछ आंकड़ा पहले गुणात्मक अध्ययन से निकला था, जो पुरुषों द्वारा गुस्से का प्रबन्धन करने से संबन्धित है। इस आयाम का पता इस लिए भी नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि शोधकर्ता खुद भी निश्चित नहीं थे कि यह पता करने के लिए प्रश्नावली द्वारा सर्वे का तरीका उपयुक्त है। एक अन्य आयाम यौनिकता के मुद्दे से जुड़ता है जहां यह अध्ययन खोज तो शुरु करता है परन्तु पर्याप्त गहराई में नहीं जा पाता है। जब यौनिकता से संबन्धित व्यवहार को पता किया जा रहा था तो यौनिक रिश्तों से संबन्धित आयाम, यौनिक हिंसा, या गर्भनिरोधक का प्रयोग को पर्याप्त विस्तार में नहीं पता लगाया गया। इन पहलुओं को अध्ययन से छोड़ने के लिये कारणों में से एक क्षेत्र जाँचकर्ता की प्रकृति से संबन्धित था जो इस अध्ययन में शामिल थे। कुछ जाँचकर्ता स्थानीय विश्वविद्यालयों के समाज कार्य विभाग के छात्र थे, हालांकि वे क्षेत्र की जाँच में प्रशिक्षित किये गये थे, तथापि शोधकर्ताओं ने महसूस किया कि वे पर्याप्त रुप से या गहराई से हिंसा और यौनिकता से संबन्धित मुद्दों की जाँच करने में तैयार नहीं थे। क्षेत्र अन्वेषक का स्वभाव उनके व उत्तरदाताओं के संबन्ध को प्रभावित कर सकता है या प्रभावित हो सकता है। प्रश्नावली में प्रश्नों और वक्तव्यों को सरल और सीधा रखा गया था।

भावी कदम की दिशा

महिला आंदोलन द्वारा पारस्परिक संबंधों में हिंसा को एक गंभीर चिंता का विषय के रुप में देखा गया है। पुरुषों के साथ कार्य जो मैसवा के गठन और मजबूती के लिये नेतृत्व कर रहा है ने भी इस चिंता को जाहिर किया है। परन्तु वहाँ एक बढ़ती हुई मांग है कि पुरुषों के साथ काम को पारस्परिक हिंसा के क्षेत्र से परे ले जाने और बड़े हिंसा और भेदभाव जो पितृसत्ता के अंदर फसा है पर ध्यान देने की जरुरत है। पुरुषों के साथ काम, गहरे बैठे सामाजिक मानदण्डों और जेण्डर से जुड़े सम्बन्धों जो दूसरे चीजों पर भी प्रभाव डालता है, जैसे–बेटे की चाह, लिंग अनुपात, दहेज, कम उम्र में शादी और बच्चे का जन्म, महिलाओं का अपने यौन रुझान व यौनिकता पर नियंत्रण आदि को चुनौति देने की जरुरत है। पुरुषों के साथ काम जाति, धर्म और नस्ल के इर्द गिर्द गहरी सामाजिक विभाजन को भी जाँच सकता है। ये न केवल भेदभाव व हिंसा के ही विषय क्षेत्र हैं, बल्कि अविश्वास, द्वेष, भेदभाव, संघर्ष के चक्र को पोषित करते हुये पुरुषों की पहचान भी बनाते हैं।

पुरुषों के साथ काम करते समय समाजिक विभाजन पर प्रतिक्रिया, मर्दानगियों को स्वयं के रुप में इंगित करने, अपनी सामाजिक स्थिति (जाति, धर्म नस्ल), यौनिकता, और सामाजिक पहचान के रुप में भी समझने की जरुरत है। ये तथाकथित सामाजिक व व्यक्तिगत रिश्तों के डोमेन में बड़े पैमाने पर कार्य को करने के लिये अवसर देता है, परन्तु इसके साथ स्वयं की समझ पर गहन चिन्तन करने की भी आवश्यकता है। बढ़ी हुई हिंसा के लिये जिसपर महिला आंदोलन के हमारे सहयोगियों ने प्रकाश डाला था, एक सरल प्रतिक्रिया के रुप में मैसवा के तहत कार्य शुरु हुआ था। यह उन पुरुषों के साथ मापने के लिये शुरु किया गया था जो जेण्डर आधारित हिंसा और भेदभाव जिन्हें हम आस पास देखते हैं, पर कुछ जिम्मेदारी लेते हैं। परन्तु जितना अधिक हम खुद अपने सहयोगियों के साथ इन मुद्दों पर आगे काम करते गये हम लोगों ने महसूस किया कि हमने शायद सिर्फ एक बहुत जटिल मुद्दा सुलझाना शुरु कर दिया है। आगे न सिर्फ अधिक प्रयास और दृढ़ता की इसमें जरुरत है बल्कि अपने उन सहयोगियों से सहयोग की भी जरुरत है जो इसके महत्व को और इस पर काम करने की आवश्यकता को भी समझते हैं।

References

Bhandari N (2008) *MASVAW : Documentation of a Campaign to end Violence against Women and Girls and to Promote Gender Equality in India,* Save the Children and MAS-VAW

Centre for Health and Social Justice (2009). *Men, Gender Equality, and Policy Response in India.*New Delhi, India, CHSJ.

Fuller, Norma (2001). 'She made me go out of my mind: Marital violence from the male point of view.' *Developments* Vol. 44 No. pp. 25-29.

Griffeths, Paula; Andrew Hinde; and Zoe Mathews (2001). Infant and Child Mortality in Three Culturally Contrasting States of India. *Journal of Biosocial Science*. Vol. 33 pp 603-622.

Government of India Planning Commission (2002). *National Human Development Report 2001.* Available at http://planningcommission.gov.in/reports/genrep/nhdrep/foreword.pdf Accessed 1/18/11.

Government of Utter Pradesh (2006). Uttar Pradesh Economy and Society: A Profile. *Human Development Report 2006, Uttar Pradesh*. Available at http://planning.up.nic.in/apd/hdr-2006/HDR.html Accessed 1/18/11.

International Center for Research on Women, with Barbara Burton; Nata Duvvury; Anuradha Rajan; and Nisha Varia (1999). *Domestic Violence in India, Part 1: A Summary Report of Three Studies.* Available at http://www.icrw.org/publications/domestic-violence-india-part-1. Accessed 1/18/11.

International Center for Research on Women, with Satish Kumar; S.D. Gupta; George Abraham; S. Anandhi.; J. Jeyaranjan, Rainuka Dagar; P.K. Abdul Rahman; Nata Duvvury; Madhabika Nayak; and Keera Allendorf (2002). Men, Masculinity, and Domestic Violence in India: Summary Report of Four Studies. *Domestic Violence in India: Part 4.* Available at http://www.icrw.org/publications/domestic-violence-india-part-4. Accessed 1/18/11.

International Clinical Epidemiology Network (INCLEN) (2000). *Domestic Violence in India 3: A Summary Report of a Multi-Site Household Survey*. Washington, DC: International Center for Research on Women and The Centre for Development and Population Activities.

International Institute for Populations Sciences (IIPS) and Marco International (2007). *National Family Health Survey (NFHS-3) 2005-2006: India: Volume 1*. Mumbai: IIPS.

Klein, Uta. (1999). *The contribution of the military and military discourse to the construction of masculinity in society.* Seminar: Men and Violence Against Women. Strasbourg, France: Council of Europe, October 8. As cited in ICRW, 2002.

Koenig, Michael; Ahmed Saifuddin; Mian Bazle Hossain; and A.B. Khorshed (2003).

Women's Status and Domestic Violence in Rural Bangladesh: Individual- and Community-Level Effects. *Demography* Vo. 40 No. 2 pp. 269-288.

Martin, Sandra; Kathern Moraccoa; Julien Garrod; Amy Ong Tsuia; Lawrence Kupperd; Jennifer Chasea; and Jacquelyn Campbell (2002). Domestic Violence across Generations: Findings from Northern India. *International Journal of Epidemiology*. Vol. 31 No. 3. pp. 560-572.

MASVAW (Undated) *A Journey Towards Justice : Men"s Action for Stopping Violence Against Women*, Lucknow, India, MASVAW Secretariat.

MASVAW (2004) *Rediscovering Ourselves : Experiments of Men in North India*, Lucknow, India, MASVAW Secretariat.

Mogford, Liz and Das Abhijit (2007). *A Different Reality: Exploring Changes Around Men, Violence against Women and Gender Equality.* Uttar Pradesh, India: SAHAYOG.

Moore, Henrietta (1994). The problem of explaining violence in the social sciences. In Penelope Harvey and Peter Gow (eds.), *Sex and Violence: Issues in Representation and Experience*. London: Routledge. pp. 139-155.

Silberschmidt, Margrethe (2001). Disempowerment of Men in Rural and Urban East Africa: Implications for male identity and sexual behavior.' *World Development Vol.* 29, No. 4 pp. 657-671.

United States Agency for International Development (USAID) (2008). *Community-Based Interventions to Delay Age of Marriage: A Review of Evidence in India. Evidence Review Series.* Available at http://nipccd.nic.in/mch/er/erdm.pdf. Accessed 1/18/11.